

सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ
यांचे कार्यालय

कार्यालय - कुडाळ, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 कसाल ते झाराप
(कि.मी.419/800 To 450/170)

:: भूसंपादन पुरवणी निवाडा ::

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 (1956 चा कायदा 48) कलम 3G (1)
अन्वये नुकसान भरपाई आदेश

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 6/2014

| | |
|------------------|--------------------------|
| मुल्यांकन दिनांक | :- सन 2016 |
| आदेश दिनांक | :- 15/10/2018 |
| गावाचे नांव | :- बांबर्डे तर्फे कळसुली |
| तालुका | :- कुडाळ |
| जिल्हा | :- सिंधुदुर्ग |

वाचले :-

- 1) प्रकल्प संचालक भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन व राज्यमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) यांजकडील पत्रान्वये राष्ट्रीय महामार्ग क्र.17 राजापूर ते झाराप. (NH-66) कि.मी.: 351.00 ते 450.170 विस्तारीत करण्यासाठी व नामनिर्देशन करणेसाठीचे पत्रान्वये मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचे पत्र.क्र. 16026/140/2013-COLL-REV दि.19/09/2013 नुसार भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांचे नामनिर्देशन अधिसूचित करणेसाठी कळविणेत आले होते.
- 2) राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3(a) अन्वये राज्यमार्ग व सडक परिवहन विभाग भारत सरकार नवी दिल्ली यांचेकडील क्र. का.आ.39(अ)अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांक 7 जानेवारी 2014 अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग 17 (नविन-66) करिता उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.
- 3) कार्यकारी अभियंता, दक्षिण सा.बा.विभाग, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्रमांक जावक क्र.दरवि/प्रशा/चौप./भूसंपादन/476,दि.24/02/2014 अन्वये मौजे-बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग जमीन संपादनाबाबतचा प्रस्ताव.
- 4) राजमार्ग मंत्रालय व सडक परिवहन विभाग भारत सरकार, नवी दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3(A) पुरवणी अधिसूचना का.आ.4073(अ) प्रसिद्ध दिनांक 16/12/2016 व कलम 3(A) पुरवणी अधिसूचना का.आ.4074(अ) प्रसिद्ध दिनांक 16/12/2016.
- 5) सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3(D) पुरवणी अधिसूचना का.आ.3853(अ) प्रसिद्ध दिनांक 08/12/2017.
- 6) उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, कुडाळ यांजकडील पत्र क्रमांक भूमापन/भूसंपादन/ रा.म.मा.66/2016/853, दि.21/03/2016, मो.र.नं.140, दि.27/03/2015 अन्वये मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथील प्राप्त झालेले संयुक्त मोजणी पत्रक व नकाशाशीट.
- 7) वनक्षेत्रपाल, कुडाळ यांजकडील क्रमांक/अ/मुल्यां/214/2016-17, दि.20/06/2016 व उपवन संरक्षक वनविभाग, सावंतवाडी यांजकडील पत्र जा.क्र.ब/विक्र/मुल्यांकन/16-17/1243, दि.29/08/2016 अन्वये संपादित जमिनीवरील वनझाडे मुल्यांकन अहवाल.

- 8) उपविभागीय कृषि अधिकारी, सावंतवाडी यांजकडील पत्र जा.क्र./उविकृसा/तंत्र/विस्तार/फ.मु./1533/2016, दि.19/08/2016 अन्वये संपादित जमिनीवरील फळझाडे मुल्यांकन अहवाल.
- 9) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांजकडील जा.क्र. सावाडी/प्रशा/आस्था/1/2016/3474, दि.24/06/2016 व पत्र जा.क्र.सावाडी/प्रशा/आस्था-1/2016/7815, दि.05/11/2016 अन्वये संपादित जमिनीवरील बांधकाम मुल्यांकन अहवाल.
- 10) उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांजकडील पत्र क्र.संकीर्ण-10/2015/प्र.क्र.133/अ-2 महसूल व वनविभाग, दि.05/10/2015.
- 11) कलम 3(A) नुसार अधिसूचना प्रसिद्धी राजपत्र दिनांक-16/12/2016 व दैनिक सिंधुदुर्ग टाईम्स व दैनिक पुढारी वृत्तपत्र दिनांक 04/03/2017.
- 12) कलम 3 C नुसार प्राप्त हरकतींच्या अनुषंगाने आक्षेप अर्जावर सुनावणी दि.17/05/2017.
- 13) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.NHAI/110/03/dmg(L.A.& Coord)2015/FTS-417/70689, दि.24/08/2015.
- 14) क्र.एल.क्यू.एन/12/2013 प्र.क्र.190/अ2 ज्या अर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 (2013 चा 30) महसूल व वनविभाग मुंबई अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 अ मधील असाधारण क्रमांक 70, दि. 25 मे, 2015.
- 15) महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-01/2018, प्र.क्र.11/अ-2, दि.04/04/2018.
- 16) नगर रचनाकार सिंधुदुर्ग यांजकडील पत्र जा.क्र.भूसंपादन/कुडाळ/रा.म.मा.क्र.66/गुणांक/नरसिं-989, दि.17/05/2018.
- 17) भारत सरकार, Ministry of Road Transport & Highway यांजकडील पत्र क्रमांक No.NH-11011/30/2015LA दि.28/12/2017 (GUIDELINES)
- 18) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडील पत्र क्र.जा.क्र.नर/निवाडा शाखा/पो.ख/धारणा कायम/2016/142, दि.19/10/2016.

भारत सरकार साठी करावयाच्या भूसंपादना करिता राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे (1956 चा कायदा 48) कलम 3G अन्वये डॉ. विकास सुर्यवंशी, उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांनी तयार केलेला निवाडा.

भूसंपादन निवाडा

क्र.उविअ/रा.म.मा.66/भूसं.एसआर नं.6/बांबर्डे तर्फे कळसुली/2018
सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल),
कुडाळ, दिनांक : 15/10/2018.

भारत सरकार साठी लागू असलेले भूसंपादन राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे (1956 चा कायदा 48) कलम 3G अन्वये निवाडा

विषय :- भूसंपादन जिल्हा सिंधुदुर्ग.

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.66 चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन
मौजे - बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.**

1) भूसंपादन प्रस्ताव :-

प्रस्तुत प्रकरणी संपादन संस्था कार्यकारी अभियंता, दक्षिण सा.बां.विभाग, रत्नागिरी असून, भूसंपादन मोबदला निधी न्यायालय खर्च तसेच तदनुषंगिक इतर सर्व खर्च देणेसाठी संपादन संस्था म्हणून कार्यकारी अभियंता, दक्षिण सा.बां.विभाग, रत्नागिरी यांचेवर बंधनकारक होईल.

1) कलम 3 (a) अधिसूचना :-

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 राजापूर ते झाराप (किमी-351/000 ते 450/170) विस्तारीत करण्यासाठी नामनिर्देशन करणेसाठी मा. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचे पत्र.क्र. 16026/140/2013-COLL-REV, दि.19/09/2013 अन्वये भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांचे नामनिर्देशन अधिसूचित करणेसाठी कळविणेत आले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3(a) अन्वये राज्यमार्ग मंत्रालय व सडक परिवहन विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील क्र. का.आ.39 (अ) अधिसूचना प्रसिद्धी दिनांक 07/01/2014 अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 करिता उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

2) सक्षम प्राधिकारी :-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांजकडील पत्रान्वये राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 (जुना 17) राजापूर ते झाराप (कि.मी.351/000 ते 450/170) हद्दी मधील मौजे कसाल ते झाराप तालुका कुडाळ पर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण, चौपदरीकरण करणेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांना प्राधिकृत केलेले आहे.

3) प्रस्ताव :-

कार्यकारी अभियंता दक्षिण सा.बां.विभाग, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र जावक क्र.दरवि/प्रशा/चौप./भूसंपादन/476, दि.24/02/2014 अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 च्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक जमिनीचा मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग या गावातील भूसंपादन प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे.

4) कलम 3 (A) अधिसूचना :-

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3 (A) पुरवणी अधिसूचना राजमार्ग मंत्रालय व सडक परिवहन विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये का.आ.4073 (अ) दि.16/12/2016 व क्र.का.आ.4074 (अ), दि.16/12/2016 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. सदर अधिसूचना सिंधुदुर्ग जिल्हातील दोन स्थानिक वृत्तपत्रात व शासकीय कार्यालयात खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आली.

| अ.क्र. | वृत्तपत्र व प्रसिद्धी कार्यालयाचे नाव | प्रसिद्धीचा दिनांक |
|--------|---|--------------------|
| 1 | स्थानिक वृत्तपत्र दै. 'सिंधुदुर्ग टाईम्स | 04/03/2017 |
| 2 | स्थानिक वृत्तपत्र दै. 'प्रहार' | 04/03/2017 |
| 3 | उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ कार्यालय नोटीस बोर्डवर | 04/03/2017 |
| 4 | जिल्हाधिकारी कार्यालय नोटीस बोर्डवर | 10/03/2017 |
| 5 | तहसिल कार्यालय, कुडाळ नोटीस बोर्डवर | 14/03/2017 |
| 6 | तलाठी सजा बांबर्डे तर्फे कळसुली नोटीस बोर्डवर | 09/03/2017 |
| 7 | ग्रामपंचायत कार्यालय वेताळ बांबर्डे नोटीस बोर्डवर | 09/03/2017 |
| 8 | संपादन संस्था कार्यालय नोटीस बोर्डवर | 10/03/2017 |

5) कलम 3 (C) नुसार चौकशी :-

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 (1956 चा कायदा 48) चे कलम 3A (1) अन्वये प्राथमिक पुरवणी अधिसूचना दिनांक 16/12/2016 राजपत्रात व स्थानिक वर्तमानपत्रांत दिनांक 04/03/2017 रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर या अधिनियमाच्या कलम 3-C (1) अन्वये 21 दिवसांत जमिनधारक हितसंबंधित व्यक्तींनी हरकती दाखल करणेसाठी कळविण्यांत आले होते. त्या अनुषंगाने हितसंबंधीतांनी हरकती उपस्थित केल्या त्यानुसार त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुर्णपणे संधी देण्यात आली. व त्यांच्या हरकतींची दि.17/05/2017 रोजी सुनावणी करण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यानच भूसंपादनाच्या सर्व शंका व हरकती बदल सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कुडाळ यांच्या स्तरावरून खातेदारांना इत्यंभूत माहिती देण्यात आली. सर्व हरकती व त्यावरील निर्णयांती राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3D अन्वये कार्यवाही करण्यासाठी सविस्तर अहवाल कार्यकारी अभियंता दक्षिण सा.बां.विभाग, रत्नागिरी यांजकडे दि.30/10/2017 रोजी पाठविणेत आला.

6) कलम 3 (D) अधिसूचना :-

राजमार्ग मंत्रालय व सडक परिवहन विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3(D) अधिसूचना का.आ.3853(अ) प्रसिद्धी दिनांक 08/12/2017.

7) कलम 3 (D) नुसार अधिसूचना प्रसिद्धी :-

परिच्छेद 4 मध्ये नमूद केलेले अहवाल कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग रत्नागिरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन राज्यमार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3D नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी अहवाल सादर केला. त्यानुसार राजमार्ग मंत्रालय व सडक परिवहन विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3(D) पुरवणी अधिसूचना का.आ.3853(अ) दिनांक 08/12/2017 रोजी प्रसिद्ध केली. संयुक्त मोजणी पत्रकामध्ये दर्शविलेप्रमाणे एकूण 4.71.85 हे.आर. क्षेत्र प्रस्तावीत क्षेत्र असून, यापूर्वीच्या निवाडयात राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3D अधिसूचनेद्वारे एकूण 2.39.75 हे.आर. क्षेत्र अधिसूचित झाले असून, त्याचे निवाडयाद्वारे मोबदला वाटप करणेत आलेले आहे. उर्वरित प्रस्तावीत क्षेत्राची कलम 3A प्रमाणे पुरवणी

अधिसूचना मंजूर झालेली असून, त्याची कलम 3D पुरवणी अधिसूचना 2.32.10 हे.आर. क्षेत्राची प्रसिद्ध झालेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3(D) अन्वये अधिसूचित करणेत आलेल्या व अंतिमरित्या संपादीत करावयाच्या जमिनीचा तपशिल सोबत परिशिष्ट-2 मध्ये देण्यात आला आहे. सदर अधिसूचना सिंधुदुर्ग जिल्हातील दोन स्थानिक वृत्तपत्रात व शासकीय कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

| अ.क्र. | वृत्तपत्र व प्रसिध्दी कार्यालयाचे नांव | प्रसिध्दी दिनांक |
|--------|--|------------------|
| 1 | दैनिक 'प्रहार' (मराठी) | 10/01/2018 |
| 2 | दैनिक 'पुढारी' (मराठी) | 10/01/2018 |
| 3 | उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ कार्यालय नोटीस बोर्डावर | 18/01/2018 |
| 4 | जिल्हाधिकारी कार्यालय नोटीस बोर्डावर | 24/01/2018 |
| 5 | तहसिलदार कार्यालय, कुडाळ नोटीस बोर्डावर | 23/01/2018 |
| 6 | तलाठी कार्यालय, बांबर्डे तर्फे कळसुली नोटीस बोर्डावर | 19/01/2018 |
| 7 | ग्रामपंचायत कार्यालय, वेताळ बांबर्डे नोटीस बोर्डावर | 19/01/2018 |
| 8 | संपादन संस्था, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग रत्नागिरी | 24/01/2018 |

8) कलम 3 (G) 3 नोटीस व चौकशी :-

संपादित जमिनीत हितसंबंधित असणा-या सर्व हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त दोन वृत्तपत्राद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3G पोट कलम 3 अन्वये हितसंबंधितांच्या असणा-या हक्कांचे स्वरूप व नुकसान भरपाई संदर्भातील त्यांच्या मागण्या संबंधीचे निवेदन घेवून दि.31/01/2018 रोजी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांचे कार्यालयात उपस्थित रहाण्याबाबत नोटीस देण्यात आली होती. सदर तारखांना एकही हरकती/दावा प्राप्त झालेला नाही. तथापी, सदर दराबाबत व मागण्याबाबत कोणताही लेखी पुरावा सादर केलेला नाही. सदर मागण्या पृष्ठयर्थ कोणत्याही प्रकारचा लेखी अगर तोंडी पुरावा संबंधीत खातेदार यांनी हजर केलेला नाही.

9) संयुक्त मोजणी :-

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 रस्ता रुंदीकरण मौजे- बांबर्डे तर्फ कळसुली, ता.कुडाळ येथील भूसंपादन प्रस्तावातील जमिनीची संयुक्त मोजणी उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, कुडाळ व संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी यांनी केली आहे. सदर मोजणी नुसार मौजे - बांबर्डे तर्फ कळसुली, ता.कुडाळ येथील एकूण 4.71.85 हे.आर. जमीन संपादित होत आहे. दि.30/11/2016 रोजी एकूण 2.39.75 हे.आर क्षेत्राचा निवाडा घोषित करणेत आलेला असून, उर्वरित एकूण 2.32.10 हे.आर क्षेत्र या निवाड्यात समाविष्ट करणेत आलेले आहे. संयुक्त मोजणी पत्रक व नकाशाशीट या कार्यालयाकडे त्यांचेकडील पत्र क्रमांक भूमापन/भूसंपादन/रा.म.मा.66/2016/853, दि.21/03/2016 अन्वये पुढील कार्यवाहीसाठी प्राप्त झालेला आहे. उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, कुडाळ व संपादन संस्थेचे प्रतिनिधी यांनी प्रमाणित केल्याप्रमाणे सर्वे नंबर / गट नंबर व क्षेत्र मान्य करण्यात आले आहे.

परिशिष्ट - अ

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक 6/2014, गांव - बांबर्डे तर्फ कळसुली, तालुका - कुडाळ

| अ.नं. | संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (हे.आर) | | मागिल निवाडयात समाविष्ट करणेत आलेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3A नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3D नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) सदरच्या निवाडयामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र (हे.आर) | | शेरा |
|-------|---------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|
| | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | एकुण | 4.71.85 | एकुण | 2.39.75 | एकुण | 2.32.10 | एकुण | 2.32.10 | एकुण | 2.32.10 | |
| 1 | 2/1 पै | 0.01.75 | 2/1 पै | 0.00.40 | 2/1 पै | 0.01.35 | 2/1 पै | 0.01.35 | 2/1 पै | 0.01.35 | |
| 2 | 2/6 पै | 0.01.60 | 2/6 पै | 0.00.60 | 2/6 पै | 0.01.00 | 2/6 पै | 0.01.00 | 2/6 पै | 0.01.00 | |
| 3 | 2/9 पै | 0.00.70 | 2/9 पै | 0.00.30 | 2/9 पै | 0.00.40 | 2/9 पै | 0.00.40 | 2/9 पै | 0.00.40 | |
| 4 | 2/12 पै | 0.04.00 | 2/12 पै | 0.02.10 | 2/12 पै | 0.01.90 | 2/12 पै | 0.01.90 | 2/12 पै | 0.01.90 | |
| 5 | 3/1 पै | 0.00.60 | - | - | 3/1 पै | 0.00.60 | 3/1 पै | 0.00.60 | 3/1 पै | 0.00.60 | |
| 6 | 3/9 पै | 0.00.70 | - | - | 3/9 पै | 0.00.70 | 3/9 पै | 0.00.70 | 3/9 पै | 0.00.70 | |
| 7 | 3/10 पै | 0.00.50 | - | - | 3/10 पै | 0.00.50 | 3/10 पै | 0.00.50 | 3/10 पै | 0.00.50 | |
| 8 | 3/11 पै | 0.00.90 | - | - | 3/11 पै | 0.00.90 | 3/11 पै | 0.00.90 | 3/11 पै | 0.00.90 | |
| 9 | 3/12 पै | 0.00.30 | - | - | 3/12 पै | 0.00.30 | 3/12 पै | 0.00.30 | 3/12 पै | 0.00.30 | |
| 10 | 4/0 पै | 0.00.70 | - | - | 4/0 पै | 0.00.70 | 4/0 पै | 0.00.70 | 4/0 पै | 0.00.70 | |
| 11 | 6/5 पै | 0.09.60 | 6/5 पै | 0.07.90 | 6/5 पै | 0.01.70 | 6/5 पै | 0.01.70 | 6/5 पै | 0.01.70 | |
| 12 | 22अ/7 पै | 0.02.70 | 22अ/7 पै | 0.02.50 | 22अ/7 पै | 0.00.20 | 22अ/7 पै | 0.00.20 | 22अ/7 पै | 0.00.20 | |
| 13 | 22अ/13पै | 0.04.30 | 22अ/13पै | 0.03.70 | 22अ/13 पै | 0.00.60 | 22अ/13 पै | 0.00.60 | 22अ/13 पै | 0.00.60 | |
| 14 | 22ब पै | 0.04.50 | 22ब पै | 0.04.00 | 22ब पै | 0.00.50 | 22ब पै | 0.00.50 | 22ब पै | 0.00.50 | |
| 15 | 24/17 पै | 0.06.50 | 24/17 पै | 0.06.10 | 24/17 पै | 0.00.40 | 24/17 पै | 0.00.40 | 24/17 पै | 0.00.40 | |

| अ.नं. | संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (हे.आर) | | मागिल निवाडयात समाविष्ट करणेत आलेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3A नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3D नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) सदरच्या निवाडयामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र (हे.आर) | | शेरा |
|-------|---------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|
| | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 25/5 पै | 0.00.75 | - | - | 25/5 पै | 0.00.75 | 25/5 पै | 0.00.75 | 25/5 पै | 0.00.75 | |
| 17 | 25/6 पै | 0.02.20 | - | - | 25/6 पै | 0.02.20 | 25/6 पै | 0.02.20 | 25/6 पै | 0.02.20 | |
| 18 | 25/11 पै | 0.18.80 | 25/11 पै | 0.16.70 | 25/11 पै | 0.02.10 | 25/11 पै | 0.02.10 | 25/11 पै | 0.02.10 | |
| 19 | 25/12 पै | 0.01.70 | - | - | 25/12 पै | 0.01.70 | 25/12 पै | 0.01.70 | 25/12 पै | 0.01.70 | |
| 20 | 25/14 पै | 0.00.50 | 25/14 पै | 0.00.30 | 25/14 पै | 0.00.20 | 25/14 पै | 0.00.20 | 25/14 पै | 0.00.20 | |
| 21 | 25/15 पै | 0.00.70 | 25/15 पै | 0.00.20 | 25/15 पै | 0.00.50 | 25/15 पै | 0.00.50 | 25/15 पै | 0.00.50 | |
| 22 | 25/17 पै | 0.00.70 | 25/17 पै | 0.00.10 | 25/17 पै | 0.00.60 | 25/17 पै | 0.00.60 | 25/17 पै | 0.00.60 | |
| 23 | 29/5 | 0.13.40 | 29/5 | 0.08.40 | 29/5 | 0.05.00 | 29/5 | 0.05.00 | 29/5 | 0.05.00 | |
| 24 | 29/6 पै | 0.07.00 | 29/6 पै | 0.06.10 | 29/6 पै | 0.00.90 | 29/6 पै | 0.00.90 | 29/6 पै | 0.00.90 | |
| 25 | 29/7 | 0.00.50 | - | - | 29/7 | 0.00.50 | 29/7 | 0.00.50 | 29/7 | 0.00.50 | |
| 26 | 29/10/4 पै | 0.02.40 | - | - | 29/10/4 पै | 0.02.40 | 29/10/4 पै | 0.02.40 | 29/10/4 पै | 0.02.40 | |
| 27 | 29/10/8 | 0.06.10 | - | - | 29/10/8 | 0.06.10 | 29/10/8 | 0.06.10 | 29/10/8 | 0.06.10 | |
| 28 | 31/2 पै | 0.07.80 | 31/2 पै | 0.01.90 | 31/2 पै | 0.05.90 | 31/2 पै | 0.05.90 | 31/2 पै | 0.05.90 | |
| 29 | 31/4 पै | 0.09.10 | 31/4 पै | 0.06.40 | 31/4 पै | 0.02.70 | 31/4 पै | 0.02.70 | 31/4 पै | 0.02.70 | |
| 30 | 31/12 पै | 0.04.70 | 31/12 पै | 0.04.00 | 31/12 पै | 0.00.70 | 31/12 पै | 0.00.70 | 31/12 पै | 0.00.70 | |
| 31 | 32/1 पै | 0.05.60 | 32/1 पै | 0.00.50 | 32/1 पै | 0.05.10 | 32/1 पै | 0.05.10 | 32/1 पै | 0.05.10 | |
| 32 | 32/2 पै | 0.19.60 | 32/2 पै | 0.05.40 | 32/2 पै | 0.14.20 | 32/2 पै | 0.14.20 | 32/2 पै | 0.14.20 | |
| 33 | 34/5 पै | 0.07.40 | 34/5 पै | 0.03.70 | 34/5 पै | 0.03.70 | 34/5 पै | 0.03.70 | 34/5 पै | 0.03.70 | |
| 34 | 37/1 पै | 0.27.40 | - | - | 37/1 पै | 0.27.40 | 37/1 पै | 0.27.40 | 37/1 पै | 0.27.40 | |
| 35 | 37/2 पै | 0.17.80 | - | - | 37/2 पै | 0.17.80 | 37/2 पै | 0.17.80 | 37/2 पै | 0.17.80 | |

| अ.नं. | संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (हे.आर) | | मागिल निवाडयात समाविष्ट करणेत आलेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3A नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3D नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) सदरच्या निवाडयामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र (हे.आर) | | शेरा |
|-------|---------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|
| | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | 37/3 पै | 0.06.80 | - | - | 37/3 पै | 0.06.80 | 37/3 पै | 0.06.80 | 37/3 पै | 0.06.80 | |
| 37 | 37/6 पै | 0.00.30 | - | - | 37/6 पै | 0.00.30 | 37/6 पै | 0.00.30 | 37/6 पै | 0.00.30 | |
| 38 | 38/1 पै | 0.39.80 | - | - | 38/1 पै | 0.39.80 | 38/1 पै | 0.39.80 | 38/1 पै | 0.39.80 | |
| 39 | 38/2 पै | 0.00.40 | - | - | 38/2 पै | 0.00.40 | 38/2 पै | 0.00.40 | 38/2 पै | 0.00.40 | |
| 40 | 38/7 पै | 0.02.60 | - | - | 38/7 पै | 0.02.60 | 38/7 पै | 0.02.60 | 38/7 पै | 0.02.60 | |
| 41 | 38/13 पै | 0.11.60 | - | - | 38/13 पै | 0.11.60 | 38/13 पै | 0.11.60 | 38/13 पै | 0.11.60 | |
| 42 | 38/22 | 0.01.80 | - | - | 38/22 | 0.01.80 | 38/22 | 0.01.80 | 38/22 | 0.01.80 | |
| 43 | 38/23 पै | 0.11.10 | - | - | 38/23 पै | 0.11.10 | 38/23 पै | 0.11.10 | 38/23 पै | 0.11.10 | |
| 44 | 38/24 पै | 0.02.00 | - | - | 38/24 पै | 0.02.00 | 38/24 पै | 0.02.00 | 38/24 पै | 0.02.00 | |
| 45 | 38/25 | 0.03.00 | - | - | 38/25 | 0.03.00 | 38/25 | 0.03.00 | 38/25 | 0.03.00 | |
| 46 | 38/26 पै | 0.03.30 | - | - | 38/26 पै | 0.03.30 | 38/26 पै | 0.03.30 | 38/26 पै | 0.03.30 | |
| 47 | 42/0 पै | 0.06.20 | - | - | 42/0 पै | 0.06.20 | 42/0 पै | 0.06.20 | 42/0 पै | 0.06.20 | |
| 48 | 43/1 पै | 0.04.30 | - | - | 43/1 पै | 0.04.30 | 43/1 पै | 0.04.30 | 43/1 पै | 0.04.30 | |
| 49 | 43/2 पै | 0.02.40 | - | - | 43/2 पै | 0.02.40 | 43/2 पै | 0.02.40 | 43/2 पै | 0.02.40 | |
| 50 | 43/4 पै | 0.00.50 | - | - | 43/4 पै | 0.00.50 | 43/4 पै | 0.00.50 | 43/4 पै | 0.00.50 | |
| 51 | 43/6 पै | 0.04.80 | - | - | 43/6 पै | 0.04.80 | 43/6 पै | 0.04.80 | 43/6 पै | 0.04.80 | |
| 52 | 43/8 पै | 0.02.20 | - | - | 43/8 पै | 0.02.20 | 43/8 पै | 0.02.20 | 43/8 पै | 0.02.20 | |
| 53 | 43/9 पै | 0.04.00 | - | - | 43/9 पै | 0.04.00 | 43/9 पै | 0.04.00 | 43/9 पै | 0.04.00 | |
| 54 | 43/10 पै | 0.01.90 | - | - | 43/10 पै | 0.01.90 | 43/10 पै | 0.01.90 | 43/10 पै | 0.01.90 | |
| 55 | 43/11 पै | 0.01.00 | - | - | 43/11 पै | 0.01.00 | 43/11 पै | 0.01.00 | 43/11 पै | 0.01.00 | |

| अ.नं. | संयुक्त मोजणी प्रमाणे क्षेत्र (हे.आर) | | मागिल निवाडयात समाविष्ट करणेत आलेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3A नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) कलम 3D नुसार प्रसिध्द झालेले क्षेत्र (हे.आर) | | (पुरवणी क्र.1) सदरच्या निवाडयामध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र (हे.आर) | | शेरा |
|-------|---------------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|
| | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | स.नं./हि.नं | क्षेत्र | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56 | 43/12 पै | 0.00.70 | - | - | 43/12 पै | 0.00.70 | 43/12 पै | 0.00.70 | 43/12 पै | 0.00.70 | |
| 57 | 43/13 पै | 0.01.50 | - | - | 43/13 पै | 0.01.50 | 43/13 पै | 0.01.50 | 43/13 पै | 0.01.50 | |
| 58 | 43/14 पै | 0.01.70 | - | - | 43/14 पै | 0.01.70 | 43/14 पै | 0.01.70 | 43/14 पै | 0.01.70 | |
| 59 | 47/11 पै | 0.08.00 | 47/11 पै | 0.04.50 | 47/11 पै | 0.03.50 | 47/11 पै | 0.03.50 | 47/11 पै | 0.03.50 | |
| 60 | 47/26 पै | 0.04.40 | 47/26 पै | 0.01.90 | 47/26 पै | 0.02.50 | 47/26 पै | 0.02.50 | 47/26 पै | 0.02.50 | |
| एकुण | | 4.71.85 | - | 2.39.75 | - | 2.32.10 | - | 2.32.10 | - | 2.32.10 | |

1) वरील प्रपत्रातील-3(D) प्रमाणे संपादन करावयाचे स.नं./हि.नं. व क्षेत्र रकाना क्र.8 व 9 प्रमाणे आहे.

(परिशिष्ट-1)

| अ.क्र. | एस.आर.क्र. | गावाचे नांव | एकुण संपादित क्षेत्र हे.आर. | | मोजणी रजिस्टर नं. |
|--------|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 6/2014 | बांबर्डे तर्फ कळसुली | खरीप | 2.86.45 | 140/2014 |
| | | | वरकस | 1.05.70 | |
| | | | बागायत | 0.14.20 | |
| | | | रब्बी | 0.06.00 | |
| | | | अकृषिक | 0.04.50 | |
| | | | पोट खराबा | 0.40.30 | |
| | | | सरकारी | 0.14.70 | |
| | | | एकुण | 4.71.85 | |

10) मालकी हक्क व स्थळ पहाणी :-

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 कसाल ते झाराप हद्दीमधील मौजे-बांबर्डे तर्फ कळसुली, ता.कुडाळ रस्त्याचे रुंदीकरण, चौपदरीकरणासाठी कलम 3 (D) अधिसूचना, संयुक्त मोजणी अहवाल जायमोक्यावर स्थळपहाणी मौजे-बांबर्डे तर्फ कळसुली, ता. कुडाळ दि.27/03/2015 रोजी करणेत आली. संपादित होणाऱ्या जमिनीची मालकी निश्चित करण्यासाठी संबंधित जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील (7/12) नोंदी ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. मालकी हक्क व नुकसान भरपाई बाबत हरकती निर्माण झाल्यास त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3 H (4) प्रमाणे कार्यवाही करणेत येईल. उक्त अधिनियमाचे कलम 3D व संयुक्त मोजणीचे वेळी मालकी हक्काबाबतचे दस्त ऐवज विचारात घेण्यात आले आहे. तथापी काही मालमत्ते संदर्भात मालकी हक्क शाबितीचा वाद उद्भवल्यास मालकी हक्काबाबत सक्षम न्यायालय जो आदेश देईल त्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई वाटप करण्यात येईल.

11) आक्षेप व मागण्या :-

प्रस्ताव पाठविणाऱ्या संस्थेकडून कुठल्याही प्रकारची मागणी किंवा आक्षेप नाही. तसेच बाधित शेतकऱ्यांचे संयुक्त मोजणी संबंधी व जमिनीच्या मुल्यांकनासंबंधी सबळ पुराव्यासह राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम कलम 3A व 3G संदर्भाने एकही आक्षेप आला नाही. त्या अनुषंगाने मौजे-बांबर्डे तर्फ कळसुली, ता.कुडाळ येथील प्रकरणात या कार्यालयाने

कलम 3G च्या आक्षेप सुनावणी घेण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. त्यावेळी व त्यानंतर कोणतेही सबळ पुरावे दाखल झाले नाहीत.

12) बाजार मूल्य (Market Value) निश्चित करणे -

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 च्या रुंदीकरण/चौपदरीकरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन हे राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 मधील तरतूदीप्रमाणे करणेत येत आहे. सदर संपादित जमिन राष्ट्रीय राज्य महामार्ग क्र.66 (जून 17) मुंबई ते गोवा रोडच्या लगत असल्याने रहिवास व्यापार व औद्योगिक दृष्ट्या महत्वाचे आहे. हायवेलागतच्या जमिनीचे महत्व रस्त्यावरील सोई सुविधा या दृष्टीकोनातून वाढत आहेत. संपादनाखालील सर्व जमिनी हायवेमार्गावरील व लगत असल्याने त्याचे मुल्यांकन निश्चित करताना हायवे मार्गालगतच्या जमिनीचे शेती, रहिवास, व्यापार, औद्योगिक वापर या दृष्टीकोनातून महत्व विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच अधिकृत व संभाव्य बिनशेती क्षमता व 7/12 वरून खरीप, हंगामी बागायत व अकृषिक जमिनीबाबत इत्यादींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

13) जमिनीचे दर :-

मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग या गावचे शिघ्रसिद्ध गणक दर ग्रामिण क्षेत्रातील माहिती तक्त्यामध्ये सदरचा गांव मूल्यविभाग क्र.5 तपशीलाप्रमाणे मूल्यदर तक्त्यामध्ये शेतसारी हेक्टरी आकारणीनुसार (गटानुसार) प्रति हेक्टरी जिरायत शेत जमिनीचे दर दिलेले आहेत. खरीप अथवा वरकस तसेच हंगामी बागायतीसाठी दर दिले नसल्यास जिराईत शेतजमिनीच्या भातशेती/खरीप जमिनीस दिडपट, जिरायत जमिनीच्या डोंगरी बागायत जमिनीस दुप्पट, वरकस जमिनीस जिराईत जमिनीच्या 75% दर विचारात घेणेबाबत सूचना आहेत.

मौजे-बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ येथील जमिनी राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठी संपादित होत असून, सदर गाव कुडाळ या तालुक्याचे ठिकाणापासून 7 कि.मी. च्या आत आहे. कुडाळ नगरपंचायत व रेल्वे स्टेशनपासून 9 कि.मी. अंतराच्या आत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित असून, गोवा या पर्यटन दृष्ट्या जागतिक महत्व असलेल्या राज्याला लागून आहे. बांबर्डे तर्फे कळसुली पासून सुमारे 27 कि.मी. अंतरावर चिपी विमानतळ होऊ घातलेले आहे व अल्पावधीतच त्याचे काम पूर्ण होणार आहे. तसेच लगतच्या मानवण तालुक्यामध्ये ' समुद्रविश्व प्रकल्प ' नावारूपाला येत आहे. जवळच कुडाळ येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक प्रकल्प आहेत. व्यापक औद्योगिक क्षमता असून, महामार्ग भोवतालच्या क्षेत्रात येवू घातलेल्या हॉटेल,

व्यवसाय, उद्योग धंद्यामुळे महामार्ग लगतच्या सर्व जमिनींना अनन्य साधारण महत्व आले आहे. व या सर्व क्षेत्रातील शेतजमिनी देखील अमर्याद अकृषिक संभावनांच्या क्षमता धारण करतात.

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 साठी प्रस्तुत संपादित क्षेत्र हे महामार्गाच्या दुतर्फी आहे. जमिनीस व्यापक औद्योगिक व अकृषिक क्षमता आहे. सदर जमिनी या हायवेलगत असल्याने हायवेलगताच्या जमिनीचा दर देणे योग्य होईल. मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग या गावचे शिघ्रसिद्ध गणक दर ग्रामीण क्षेत्रात विभाग 5 मध्ये मोडत आहेत. विभाग 5 मधील मुल्यविभागाच्या माहिती तक्त्यामध्ये हायवेवरील जमिनीचा प्रतिआर दर रु.89,000/- एवढा आहे.

मौजे - बांबर्डे तर्फे कळसुली मधील सर्व प्रकारच्या जमिनीसाठी खरीप व वरकस जमिन ग्रुप क्र.1,2,3,4,5,6 व 7 साठी दरांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

मौजे - बांबर्डे तर्फे कळसुली येथील जमिनीचा प्रतिआर दर तक्ता व माहिती.

| अ.क्र. | जमिनीचा प्रकार | संपादित होणाऱ्या जमिनीचे स.नं./हि.नं. | गटाचे एकुण क्षेत्र हे.आर.) | आकार | ग्रुप क्र. | दर रूपये प्रतिआर |
|--------|-----------------|---|----------------------------|---------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिरायत शेत जमिन | 2/6 पै, 2/9 पै, 24/17 पै, 38/1 पै, 38/2 पै, 38/7 पै, 38/13 पै, 38/22, 38/23 पै, 38/24 पै, 38/25, 38/26 पै, 42/0 पै, 43/1 पै, 43/2 पै, 43/6 पै, 43/8 पै, 43/9 पै, 43/10 पै, 43/11 पै, 43/12 पै, 43/13 पै, 43/14 पै, 47/11 पै, 47/26 पै | 1.14.10 | 0 ते 1.25 | 1 | 3532 |
| 2 | जिरायत शेत जमिन | 2/1 पै, 4/0 पै, 43/4 पै | 0.02.55 | 1.26 ते 2.50 | 2 | 4578 |
| 3 | जिरायत शेत जमिन | 2/12 पै, 3/1 पै, 3/9 पै, 3/10 पै, 3/11 पै, 3/12 पै, 6/5 पै, 29/5, 29/6 पै, 29/7, 34/5 पै, 37/1 पै, 37/2 पै, 37/3 पै, 37/6 पै, | 0.69.00 | 2.51 ते 5.00 | 3 | 4796 |
| 4 | जिरायत शेत जमिन | 22अ/7 पै, 22अ/13 पै, 25/6 पै, 25/11 पै, 25/12 पै, 25/15 पै, 25/17 पै, 29/10/4 पै, 29/10/8, 31/2 पै, 31/4 पै, 31/12 पै, 32/2 पै, | 0.39.90 | 5.01 ते 7.50 | 4 | 5657 |
| 5 | जिरायत शेत जमिन | 25/5 पै, 25/14 पै, 32/1 पै, | 0.06.05 | 7.51 ते 10.00 | 5 | 7314 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------|--------------------|----|-------|-------|
| 6 | जिरायत शेत जमिन | --- | -- | 10.01 ते 12.50 | 6 | 8938 | |
| 7 | जिरायत शेत जमिन | -- | -- | 12.51 च्या पुढे | 7 | 9516 | |
| 8 | बिनशेती जमिनी | 22 ब पै | 0.00.50 | -- | -- | 79000 | |
| 9 | हायवे लगत जमिनी | 2/1 पै, 2/6 पै, 2/9 पै, 2/12 पै, 3/1 पै, 3/9 पै, 3/10 पै, 3/11 पै, 3/12 पै, 4/0 पै, 6/5 पै, 22अ/7 पै, 22अ/13 पै, 22 ब पै, 24/17 पै, 25/5 पै, 25/6 पै, 25/11 पै, 25/12 पै, 25/14 पै, 25/15 पै, 25/17 पै, 29/5, 29/6 पै, 29/7, 29/10/4 पै, 29/10/8, 31/2 पै, 31/4 पै, 31/12 पै, 32/1 पै, 32/2 पै, 34/5 पै, 37/1 पै, 37/2 पै, 37/3 पै, 37/6 पै, 38/1 पै, 38/2 पै, 38/7 पै, 38/13 पै, 38/22, 38/23 पै, 38/24 पै, 38/25, 38/26 पै, 42/0 पै, 43/1 पै, 43/2 पै, 43/4 पै, 43/6 पै, 43/8 पै, 43/9 पै, 43/10 पै, 43/11 पै, 43/12 पै, 43/13 पै, 43/14 पै, 47/11 पै, 47/26 पै | 2.32.10 | -- | -- | -- | 89000 |

13A) खरेदी विक्री प्रमाणे दर :-

सदरची जमीन राष्ट्रीय महामार्ग क्र.66 चे रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादन करण्यात येत आहे. संपादित जमिनीचे मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 चे कलम 3A अधिसूचना Ministry of Road Transport and Highway Notification New Delhi S.O.4073 (अ) दि.16/12/2016 व S.O.4074 (अ) दि.16/12/2016 रोजी प्रसिध्दी केली आहे. मुल्यांकनासाठी दि.16/12/2016 ही तारीख आधारभूत धरण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडील पत्र क्र.NHAI/11013/dgm (L.A & Coord) 2015/FTS-417/70689, दि.24/08/2015 व पत्र क्र.संकिर्ण-10/2015/प्र.क्र.133/अ-2, दि.05/10/2015 अन्वये कळविणेत आलेप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 नुसार संपादित करावयाच्या जमिनीसंदर्भात मुल्यांकन करताना नवीन भूसंपादन कायद्यातील फक्त मोबदला परिगणित करण्याबाबतच्या कलम 26 ते 30 च्या तरतूदी लागू असून, उर्वरित कार्यपध्दती ही राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 च्या तरतूदीनुसार करणे अपेक्षित आहे, असे कळविणेत आल्याने सदर तारखेपासूनचे मागील तीन वर्षांचे मौजे- बांबर्डे तर्फे

कळसुली या गावाचे खरेदी विक्री व्यवहार सन 2013, 2014 व 2015 या वर्षीचे दुय्यम निबंधक, कुडाळ यांजकडून मागविण्यात आलेले आहेत. मागील तीन वर्षात मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली या गावी 16 खरेदी विक्री व्यवहार झालेले आहेत. त्यापैकी खरीप-7, वरकस-2, अकृषिक-5 व डोंगर बागायत-2 असे मिळून 16 खरेदी विक्री व्यवहार झाले आहेत.

खरेदी विक्री व्यवहारांचे विवरण.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतीआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2335/2013 | खरेदीखत | 101/19 | 0.06.00 | 0.19 | अकृषिक | 23/12/2013 | 3,45,000/- | 57,500/- |
| 2 | 1093/2013 | खरेदीखत | 227/1 | 2.35.00 | 0.38 | वरकस | 05/06/2013 | 13,50,000/- | 4,475/- |
| | | | 227/2ब | 0.66.67 | 0.07 | वरकस | 05/06/2013 | | |
| | | | एकूण | 3.01.67 | | | | | |
| 3 | 367/2013 | खरेदीखत | 35/1 | 0.21.70 | 0.91 | खरीप | 28/02/2013 | 6,50,000/- | 29,954/- |
| 4 | 2103/2013 | खरेदीखत | 109/1 | 0.51.70 | 3.12 | खरीप | 20/11/2013 | 7,72,000/- | 4,070/- |
| | | | 246/6अ | 1.38.00 | 0.24 | | | | |
| | | | एकूण | 1.89.70 | | | | | |
| 5 | 126/2014 | खरेदीखत | 226ब/19 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 17/01/2014 | 2,21,000/- | 64,058/- |
| 6 | 123/2014 | खरेदीखत | 3/2 | 0.01.00 | 0.02 | खरीप | 16/01/2014 | 37,500/- | 12,097/- |
| | | | 3/14 | 0.01.30 | 0.06 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | 3/16 | 0.00.80 | 0.03 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.03.10 | | | | | |
| 7 | 262/2014 | खरेदीखत | 226ब/14 | 0.06.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | 8,70,000/- | 65,169/- |
| | | | 226ब/15 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | 226ब/16 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.13.35 | | | | | |
| 8 | 425/2014 | खरेदीखत | 226ब/56 | 0.04.20 | -- | अकृषिक | 21/02/2014 | 2,70,000/- | 64,286/- |
| 9 | 1941/2014 | खरेदीखत | 79/32 | 0.10.00 | 0.03 | खरीप | 10/10/2014 | 1,21,500/- | 12,150/- |
| 10 | 140/2015 | खरेदीखत | 67/9अ1 | 0.18.00 | 0.01 | वरकस | 21/01/2015 | 11,00,000/- | 61,111/- |
| 11 | 104/2015 | खरेदीखत | 226ब/59 | 0.02.40 | -- | अकृषिक | 17/01/2015 | 1,80,000/- | 75,000/- |
| 12 | 610/2015 | खरेदीखत | 2/11 | 0.14.20 | 0.44 | खरीप | 01/04/2015 | 1,25,000/- | 8,803/- |
| 13 | 623/2015 | खरेदीखत | 103/1ब/9 | 0.70.00 | 0.08 | डों.बा | 07/04/2015 | 5,00,000/- | 7,143/- |
| 14 | 65/2015 | खरेदीखत | 24/7 | 0.05.00 | 0.02 | डों.बा | 12/01/2015 | 1,20,000/- | 24,000/- |
| 15 | 1494/2015 | खरेदीखत | 2/12 | 0.15.40 | 0.45 | खरीप | 31/07/2015 | 1,10,000/- | 7,143/- |
| 16 | 1506/2015 | खरेदीखत | 20/5 | 0.04.80 | 0.27 | खरीप | 15/06/2015 | 1,00,000/- | 20,833/- |

वरीलप्रमाणे एकूण 16 खरेदी विक्री व्यवहार असून, त्यापैकी 7 खरीप प्रतीचे व्यवहार आहेत. नवीन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतूदीनुसार प्रतवारी प्रमाणे दर निश्चित करणेसाठी सदरचे व्यवहार प्रतीआर दरानुसार खालीलप्रमाणे उतरत्या क्रमाने घेण्यात आले.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 367/2013 | खरेदीखत | 35/1 | 0.21.70 | 0.91 | खरीप | 28/02/2013 | 6,50,000/- | 29,954/- |
| 2 | 1506/2015 | खरेदीखत | 20/5 | 0.04.80 | 0.27 | खरीप | 15/06/2015 | 1,00,000/- | 20,833/- |
| 3 | 1941/2014 | खरेदीखत | 79/32 | 0.10.00 | 0.03 | खरीप | 10/10/2014 | 1,21,500/- | 12,150/- |
| 4 | 123/2014 | खरेदीखत | 3/2 | 0.01.00 | 0.02 | खरीप | 16/01/2014 | 37,500/- | 12,097/- |
| | | | 3/14 | 0.01.30 | 0.06 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | 3/16 | 0.00.80 | 0.03 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.03.10 | | | | | |
| 5 | 610/2015 | खरेदीखत | 2/11 | 0.14.20 | 0.44 | खरीप | 01/04/2015 | 1,25,000/- | 8,803/- |
| 6 | 1494/2015 | खरेदीखत | 2/12 | 0.15.40 | 0.45 | खरीप | 31/07/2015 | 1,10,000/- | 7,143/- |
| 7 | 2103/2013 | खरेदीखत | 109/1 | 0.51.70 | 3.12 | खरीप | 20/11/2013 | 7,72,000/- | 4,070/- |
| | | | 246/6अ | 1.38.00 | 0.24 | | | | |
| | | | एकूण | 1.89.70 | | | | | |

वरीलप्रमाणे एकूण खरीप जमिनीच्या व्यवहारापैकी निम्मे उच्चतम किंमतीचे व्यवहार विचारात घेवून खरीप प्रतीचा प्रतीआर दर खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत आला.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 367/2013 | खरेदीखत | 35/1 | 0.21.70 | 0.91 | खरीप | 28/02/2013 | 6,50,000/- | 29,954/- |
| 2 | 1506/2015 | खरेदीखत | 20/5 | 0.04.80 | 0.27 | खरीप | 15/06/2015 | 1,00,000/- | 20,833/- |
| 3 | 1941/2014 | खरेदीखत | 79/32 | 0.10.00 | 0.03 | खरीप | 10/10/2014 | 1,21,500/- | 12,150/- |
| 4 | 123/2014 | खरेदीखत | 3/2 | 0.01.00 | 0.02 | खरीप | 16/01/2014 | 37,500/- | 12,097/- |
| | | | 3/14 | 0.01.30 | 0.06 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | 3/16 | 0.00.80 | 0.03 | खरीप | 16/01/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.03.10 | | | | | |
| | | | एकूण | 0.39.60 | | | | 9,09,000/- | |

$$9,09,000/- + 0.39.60 = 22,955/- \text{ प्रतीआर दर}$$

वरकस प्रतीचा दर ठरविणेसाठी एकूण 2 खरेदी विक्री व्यवहार उपलब्ध आहेत. नवीन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतूदीनुसार प्रतवारी प्रमाणे दर निश्चित करणेसाठी सदरचे व्यवहार प्रतीआर दरानुसार खालीलप्रमाणे उतरत्या क्रमाने घेण्यात आले.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 140/2015 | खरेदीखत | 67/9अ1 | 0.18.00 | 0.01 | वरकस | 21/01/2015 | 11,00,000/- | 61,111/- |
| 2 | 1093/2013 | खरेदीखत | 227/1 | 2.35.00 | 0.38 | वरकस | 05/06/2013 | 13,50,000/- | 4,475/- |
| | | | 227/2ब | 0.66.67 | 0.07 | वरकस | 05/06/2013 | | |
| | | | एकूण | 3.01.67 | | | | | |

वरीलप्रमाणे एकूण वरकस जमिनीच्या व्यवहारापैकी निम्मे उच्चतम किंमतीचे व्यवहार विचारात घेवुन वरकस प्रतीचा प्रतीआर दर खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत आला.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 140/2015 | खरेदीखत | 67/9अ1 | 0.18.00 | 0.01 | वरकस | 21/01/2015 | 11,00,000/- | 61,111/- |
| | | | एकूण | 0.18.00 | | | | 11,00,000/- | |

$$11,00,000/- + 0.18.00 = 61,111/- \text{ प्रतीआर दर}$$

डोंगर बागायत प्रतीचा दर ठरविणेसाठी एकूण 2 खरेदी विक्री व्यवहार उपलब्ध आहेत. नवीन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतूदीनुसार प्रतवारी प्रमाणे दर निश्चित करणेसाठी सदरचे व्यवहार प्रतीआर दरानुसार खालीलप्रमाणे उतरत्या क्रमाने घेण्यात आले.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 65/2015 | खरेदीखत | 24/7 | 0.05.00 | 0.02 | डों.बा | 12/01/2015 | 1,20,000/- | 24,000/- |
| 2 | 623/2015 | खरेदीखत | 103/1ब/9 | 0.70.00 | 0.08 | डों.बा | 07/04/2015 | 5,00,000/- | 7,143/- |

वरीलप्रमाणे एकूण डोंगर बागायत जमिनीच्या व्यवहारापैकी निम्मे उच्चतम किंमतीचे व्यवहार विचारात घेवुन डोंगर बागायत प्रतीचा प्रतीआर दर खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत आला.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतिआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 65/2015 | खरेदीखत | 24/7 | 0.05.00 | 0.02 | डों.बा | 12/01/2015 | 1,20,000/- | 24,000/- |
| | | | एकूण | 0.05.00 | | | | 1,20,000/- | |

$$1,20,000/- + 0.05.00 = 24,000/- \text{ प्रतीआर दर}$$

अकृषिक प्रतीचा दर ठरविणेसाठी एकूण 5 खरेदी विक्री व्यवहार उपलब्ध आहेत. नवीन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतूदीनुसार प्रतवारी प्रमाणे दर निश्चित करणेसाठी सदरचे व्यवहार प्रतीआर दरानुसार खालीलप्रमाणे उतरत्या क्रमाने घेण्यात आले.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतीआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|----------------|------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 104/2015 | खरेदीखत | 226ब/59 | 0.02.40 | -- | अकृषिक | 17/01/2015 | 1,80,000/- | 75,000/- |
| 2 | 262/2014 | खरेदीखत | 226ब/14 | 0.06.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | 8,70,000/- | 65,169/- |
| | | | 226ब/15 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | 226ब/16 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.13.35 | | | | | |
| 3 | 425/2014 | खरेदीखत | 226ब/56 | 0.04.20 | -- | अकृषिक | 21/02/2014 | 2,70,000/- | 64,286/- |
| 4 | 126/2014 | खरेदीखत | 226ब/19 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 17/01/2014 | 2,21,000/- | 64,058/- |
| 5 | 2335/2013 | खरेदीखत | 101/19 | 0.06.00 | 0.19 | अकृषिक | 23/12/2013 | 3,45,000/- | 57,500/- |

वरीलप्रमाणे एकूण अकृषिक जमिनीच्या व्यवहारापैकी निम्मे उच्चतम किंमतीचे व्यवहार विचारात घेवुन अकृषिक प्रतीचा प्रतीआर दर खालीलप्रमाणे निश्चित करणेत आला.

| अ. क्र. | परि.अ. मधील अ.नं. | प्रकार | स.नं./हि.नं. | क्षेत्र | आकार | जमिनीची प्रत | विक्रीचा दिनांक | खरेदी किंमत | प्रतीआर दर |
|---------|-------------------|---------|--------------|----------------|------|--------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | 104/2015 | खरेदीखत | 226ब/59 | 0.02.40 | -- | अकृषिक | 17/01/2015 | 1,80,000/- | 75,000/- |
| 2 | 262/2014 | खरेदीखत | 226ब/14 | 0.06.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | 8,70,000/- | 65,169/- |
| | | | 226ब/15 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | 226ब/16 | 0.03.45 | -- | अकृषिक | 03/02/2014 | | |
| | | | एकूण | 0.13.35 | | | | | |
| 3 | 425/2014 | खरेदीखत | 226ब/56 | 0.04.20 | -- | अकृषिक | 21/02/2014 | 2,70,000/- | 64,286/- |
| | | | एकूण | 0.19.95 | | | | 13,20,000/- | |

13,20,000/- + 0.19.95 = 66,165/- प्रतीआर दर

संपादित क्षेत्रात रब्बी क्षेत्राचा समावेश आहे. परंतु रब्बी क्षेत्राचा दर ठरविणेसाठी रब्बी क्षेत्राचे खरेदी विक्री व्यवहार उपलब्ध नाहीत. सन 2016 सालचे विभागवार मुल्यदरसूची पाहता सदरचा गांव हा विभाग क्र.5 मध्ये मोडतो. सदर विभागामध्ये शिघ्रसिद्ध गणक दराप्रमाणे रब्बी क्षेत्राचा प्रतीआर दर रु.7,064/- येत आहे. सदरचा दर हा संपादित क्षेत्रातील रब्बी दर ठरविणेसाठी निश्चित करणेत येत आहे.

प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणी संयुक्त मोजणी पत्रकातील नोंदी पाहता प्रस्तावीत क्षेत्रात पोट खराबा क्षेत्राचा समावेश आहे. संयुक्त मोजणी पत्रकाप्रमाणे एकूण 0.33.20 एवढे पोटखराबा क्षेत्र आहे. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडील पत्र क्र.जा.क्र.नर/निवाडा शाखा/पो.ख/धारणा कायम/2016/142, दि.19/10/2016 अन्वये कळविणेत आलेप्रमाणे पोटखराबा जमिनीचे बाजारमुल्य परिगणित करताना बाजारमुल्य दर तक्यातील मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे लागू करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे जमिनीच्या प्रकारानुसार पोटखराबासह सर्व क्षेत्र मुल्यांकनासाठी विचारात घेणेत आलेले आहे. त्यामुळे पोटखराबा जमिनीचा वेगळा दर निश्चित करणेत आलेला नाही.

वरीलप्रमाणे सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार विचारात घेवून नविन भूसंपादन कायदा 2013 मधील कलम 26 ते 30 मधील तरतुदीनुसार उच्चतम किंमतीचे तत्सम प्रतीचे निम्मे खरेदी-विक्री व्यवहार विचारात घेवून सरासरी विक्री किंमतीच्या आधारे खालीलप्रमाणे दर निश्चित करणेत येत आहे.

खरेदी विक्री व्यवहार पद्धतीने हिशोबित केलेले दर

| अ.क्र. | प्रतवारी | प्रतीआर दर |
|--------|----------|------------|
| 1 | खरीप | 22,955/- |
| 2 | वरकस | 61,111/- |
| 3 | डों.बा. | 24,000/- |
| 4 | अकृषिक | 66,165/- |

13B) शिघ्रसिध्द गणक पद्धतीने येणारा दर -

सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 सिंधुदुर्ग, यांचेकडून 01/01/2016 ते 31/12/2016 या कालावधीचे शिघ्रसिध्द गणकाचे दर व मार्गदर्शक सुची या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/शि.सि.गणक/9/2016, दि.27/09/2016 अन्वये मागविणेत आलेले होते. सह दुय्यम निबंधक यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.सहदुनि/सिंधुदुर्ग/खरेदीविक्री/सुची-2/373/16, दि.19/10/2016 अन्वये शिघ्रसिध्द गणकाचे दर नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक व महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील सन 2016 चे दर प्राप्त झाले. मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग हा गाव शिघ्रसिध्द गणक तक्त्यात ग्रामीण क्षेत्रात विभाग-5 मध्ये मोडत आहे. जमिन दर निश्चित करतेवेळी कलम 3 A ची अधिसूचना प्रसिध्द झाली त्यावर्षाच्या शिघ्रसिध्द गणक सूचीप्रमाणे दराचा विचार करणेत यावा. अशी भूसंपादन कायद्यात तरतूद असल्याने सन 2016 चे मुल्यांकन तक्त्याप्रमाणे विभागमुल्य प्रकारानुसार सदरचा गाव मुल्यविभाग 5 मध्ये मोडत असल्याने हेक्टरी शेतसारा आकारणीनुसार जिराईत जमिनीच्या भातशेती/खरीप जमिनीस दिडपट, जिरायत जमिनीच्या डोंगरी बागायत जमिनीस दुप्पट, वरकस जमिनीस जिराईत जमिनीच्या 75% व बाजारमुल्य तक्त्यातील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हेक्टरी शेतसारा आकारमान मुल्यदरानुसार व जमिनीच्या प्रकारानुसार पोटखराबासह सर्व क्षेत्र मुल्यांकनासाठी विचारात घ्यावे असे सुचित करणेत आलेले आहे. त्याप्रमाणे पोटखराबा जमिनीस वेगळा दर देय करणेत आलेला नाही.

शिघ्रसिद्ध गणक दराप्रमाणे निश्चित केलेला दर

| अ.क्र. | गट क्रमांक | प्रति हेक्टरी शेतसारा | जमिनीचा प्रकार व दर प्रतिआर | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--------|------|----------------|------------|
| | | | जिरायत | खरीप | डॉ.बा. | वरकस | हायवे लगतचे दर | बिनशेती दर |
| 1 | 1 | 0 ते 1.25 | 3532 | 5298 | 7064 | 2649 | 89000 | 79000 |
| 2 | 2 | 1.26 ते 2.50 | 4578 | 6867 | 9156 | 3434 | 89000 | 79000 |
| 3 | 3 | 2.51 ते 5.00 | 4796 | 7194 | 9592 | 3597 | 89000 | 79000 |
| 4 | 4 | 5.01 ते 7.50 | 5657 | 8486 | 11314 | 4243 | 89000 | 79000 |
| 5 | 5 | 7.51 ते 10.00 | 7314 | 10971 | 14628 | 5486 | 89000 | 79000 |
| 6 | 6 | 10.01 ते 12.50 | 8938 | 13407 | 17876 | 6704 | 89000 | 79000 |
| 7 | 7 | 12.51 च्या पुढे | 9516 | 14274 | 19032 | 7137 | 89000 | 79000 |

तुलनात्मक तक्ता

| अ.क्र. | खरेदी विक्री व्यवहार पद्धतीने हिशोबित केलेले प्रतीआर दर | | | | शिघ्रसिद्ध पद्धतीने हिशोबित केलेले दर (प्रतीआर) | | या दोन्हीपैकी निवाडयात देय्य करणेत आलेला किफायतशीर दर (प्रतीआर) |
|--------|---|----------|----------|----------|---|-----------------|---|
| | खरीप | वरकस | डॉ.बा. | अकृषिक | अकृषिक जमिनी | हायवेवरील जमिनी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 22,955/- | 61,111/- | 24,000/- | 66,165/- | 79,000/- | 89,000/- | 89,000/- |

जमिनीचे बाजारमुल्य ठरवितांना The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 चे कलम 26 नुसार वरील मुल्यांकनापैकी सर्वाधिक येणारे बाजारमुल्य दर हा निश्चित करणेकरिता मागील 3 वर्षांचे सरासरी खरेदी विक्री व्यवहार व सन 2016 मधील शिघ्रसिद्ध गणकाचा दर यांची तुलना केली असता संपादित जमिन ही हायवेलगत व हायवेसाठी संपादित होत आहे. हायवेलगत जमिनीचा दर शिघ्रसिद्ध गणकानुसार येणारा रु.89,000/- प्रतिआर हा दर खरेदी विक्री व्यवहार, जिरायत शेतजमिनीचा शिघ्रसिद्ध गणकानुसार दर तसेच बिनशेती जमिनीचा दर यापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. संपादित होणा-या जमिनी हायवेलगत असल्याने सदर हायवेलगत दर निवाडयामध्ये दर्शविणे योग्य वाटते. त्यामुळे शिघ्रसिद्ध गणकानुसार हायवेलगत जमिनीचा दर्शविलेला दर रु.89,000/- हा संपादित जमिनीच्या मुल्यांकनासाठी बाजारमुल्य म्हणून प्रस्तावित करणेत येत आहे.

संपादित जमिनीचे अंतिम मुल्यांकन.

भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक 6/2014, गांव - बांबर्डे तर्फ कळसुली, तालुका - कुडाळ

| अ.क्र. | स.नं./हि.नं. | एकूण संपादित जमिनीचे क्षेत्र (सं.मो.पत्रकाप्रमाणे) | | | | | | | | आकार | पैकी 3D अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्धी क्षेत्र | संपादित जमिनीचा प्रतीआर दर | संपादित जमिनीचा गुणांक 1.50 प्रमाणे प्रतीआर दर | एकूण जमिनीची किंमत |
|--------|--------------|--|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | | खरीप | वरकस | बागायत | रब्बी | अकृषिक | पो.ख. | सरकारी | एकूण | | | | | |
| 1 | 2/1 पै | 0.01.75 | - | - | - | - | - | - | 0.01.75 | 0.03 | 0.01.35 | 89000 | 133500 | 180225 |
| 2 | 2/6 पै | - | 0.01.00 | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.01.60 | 0.01 | 0.01.00 | 89000 | 133500 | 133500 |
| 3 | 2/9 पै | - | - | - | - | - | 0.00.70 | - | 0.00.70 | - | 0.00.40 | 89000 | 133500 | 53400 |
| 4 | 2/12 पै | 0.04.00 | - | - | - | - | - | - | 0.04.00 | 0.14 | 0.01.90 | 89000 | 133500 | 253650 |
| 5 | 3/1 पै | 0.00.60 | - | - | - | - | - | - | 0.00.60 | 0.03 | 0.00.60 | 89000 | 133500 | 80100 |
| 6 | 3/9 पै | 0.00.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00.70 | 0.03 | 0.00.70 | 89000 | 133500 | 93450 |
| 7 | 3/10 पै | 0.00.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00.50 | 0.02 | 0.00.50 | 89000 | 133500 | 66750 |
| 8 | 3/11 पै | 0.00.90 | - | - | - | - | - | - | 0.00.90 | 0.04 | 0.00.90 | 89000 | 133500 | 120150 |
| 9 | 3/12 पै | 0.00.30 | - | - | - | - | - | - | 0.00.30 | 0.01 | 0.00.30 | 89000 | 133500 | 40050 |
| 10 | 4/0 पै | - | 0.00.70 | - | - | - | - | - | 0.00.70 | 0.01 | 0.00.70 | 89000 | 133500 | 93450 |
| 11 | 6/5 पै | 0.09.30 | - | - | - | - | 0.00.30 | - | 0.09.60 | 0.38 | 0.01.70 | 89000 | 133500 | 226950 |
| 12 | 22अ/7 पै | 0.02.70 | - | - | - | - | - | - | 0.02.70 | 0.14 | 0.00.20 | 89000 | 133500 | 26700 |
| 13 | 22अ/13 पै | 0.04.30 | - | - | - | - | - | - | 0.04.30 | 0.31 | 0.00.60 | 89000 | 133500 | 80100 |
| 14 | 22ब पै | - | - | - | - | 0.04.50 | - | - | 0.04.50 | - | 0.00.50 | 89000 | 133500 | 66750 |
| *15 | *24/17 पै | - | - | - | - | - | - | 0.06.50 | 0.06.50 | - | 0.00.40 | - | - | - |
| 16 | 25/5 पै | 0.00.75 | - | - | - | - | - | - | 0.00.75 | 0.06 | 0.00.75 | 89000 | 133500 | 100125 |
| 17 | 25/6 पै | 0.02.20 | - | - | - | - | - | - | 0.02.20 | 0.16 | 0.02.20 | 89000 | 133500 | 293700 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|------|---------|-------|--------|---------|
| 18 | 25/11 ष | 0.18.20 | - | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.18.80 | 1.32 | 0.02.10 | 89000 | 133500 | 280350 |
| 19 | 25/12 ष | 0.01.70 | - | - | - | - | - | - | 0.01.70 | 0.12 | 0.01.70 | 89000 | 133500 | 226950 |
| 20 | 25/14 ष | 0.00.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00.50 | 0.04 | 0.00.20 | 89000 | 133500 | 26700 |
| 21 | 25/15 ष | 0.00.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00.70 | 0.05 | 0.00.50 | 89000 | 133500 | 66750 |
| 22 | 25/17 ष | 0.00.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00.70 | 0.05 | 0.00.60 | 89000 | 133500 | 80100 |
| 23 | 29/5 | 0.13.40 | - | - | - | - | - | - | 0.13.40 | 0.66 | 0.05.00 | 89000 | 133500 | 667500 |
| 24 | 29/6 ष | 0.07.00 | - | - | - | - | - | - | 0.07.00 | 0.34 | 0.00.90 | 89000 | 133500 | 120150 |
| 25 | 29/7 | 0.00.50 | - | - | - | - | - | - | 0.00.50 | 0.02 | 0.00.50 | 89000 | 133500 | 66750 |
| 26 | 29/10/4 ष | 0.01.60 | - | - | - | - | 0.00.80 | - | 0.02.40 | 0.10 | 0.02.40 | 89000 | 133500 | 320400 |
| 27 | 29/10/8 | 0.05.50 | - | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.06.10 | 0.31 | 0.06.10 | 89000 | 133500 | 814350 |
| 28 | 31/2 ष | 0.07.80 | - | - | - | - | - | - | 0.07.80 | 0.46 | 0.05.90 | 89000 | 133500 | 787650 |
| 29 | 31/4 ष | 0.09.10 | - | - | - | - | - | - | 0.09.10 | 0.56 | 0.02.70 | 89000 | 133500 | 360450 |
| 30 | 31/12 ष | 0.04.70 | - | - | - | - | - | - | 0.04.70 | 0.27 | 0.00.70 | 89000 | 133500 | 93450 |
| 31 | 32/1 ष | 0.05.60 | - | - | - | - | - | - | 0.05.60 | 0.43 | 0.05.10 | 89000 | 133500 | 680850 |
| 32 | 32/2 ष | 0.19.60 | - | - | - | - | - | - | 0.19.60 | 1.00 | 0.14.20 | 89000 | 133500 | 1895700 |
| 33 | 34/5 ष | 0.07.40 | - | - | - | - | - | - | 0.07.40 | 0.35 | 0.03.70 | 89000 | 133500 | 493950 |
| 34 | 37/1 ष | 0.06.90 | 0.09.00 | 0.09.70 | - | - | 0.01.80 | - | 0.27.40 | 0.84 | 0.27.40 | 89000 | 133500 | 3657900 |
| 35 | 37/2 ष | 0.07.30 | - | 0.04.50 | 0.06.00 | - | - | - | 0.17.80 | 0.84 | 0.17.80 | 89000 | 133500 | 2376300 |
| 36 | 37/3 ष | 0.06.80 | - | - | - | - | - | - | 0.06.80 | 0.32 | 0.06.80 | 89000 | 133500 | 907800 |
| 37 | 37/6 ष | 0.00.30 | - | - | - | - | - | - | 0.00.30 | 0.01 | 0.00.30 | 89000 | 133500 | 40050 |
| 38 | 38/1 ष | 0.25.80 | - | - | - | - | 0.14.00 | - | 0.39.80 | 0.05 | 0.39.80 | 89000 | 133500 | 5313300 |
| 39 | 38/2 ष | - | - | - | - | - | 0.00.40 | - | 0.00.40 | - | 0.00.40 | 89000 | 133500 | 53400 |
| 40 | 38/7 ष | - | 0.01.80 | - | - | - | 0.00.80 | - | 0.02.60 | - | 0.02.60 | 89000 | 133500 | 347100 |
| 41 | 38/13 ष | - | 0.07.60 | - | - | - | 0.04.00 | - | 0.11.60 | 0.02 | 0.11.60 | 89000 | 133500 | 1548600 |
| 42 | 38/22 | - | - | - | - | - | - | 0.01.80 | 0.01.80 | - | 0.01.80 | - | - | - |
| 43 | 38/23 ष | - | 0.08.00 | - | - | - | 0.03.10 | - | 0.11.10 | 0.02 | 0.11.10 | 89000 | 133500 | 1481850 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|---|---|---------|---------|---------|------|-----------|-------|--------|----------|
| 44 | 38/24 पै | - | 0.02.00 | - | - | - | - | - | 0.02.00 | 0.01 | 0.02.00 | 89000 | 133500 | 267000 |
| 45 | 38/25 | - | 0.03.00 | - | - | - | - | - | 0.03.00 | 0.02 | 0.03.00 | 89000 | 133500 | 400500 |
| 46 | 38/26 पै | - | 0.02.70 | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.03.30 | 0.02 | 0.03.30 | 89000 | 133500 | 440550 |
| 47 | 42/0 पै | - | 0.06.20 | - | - | - | - | - | 0.06.20 | 0.07 | 0.06.20 | 89000 | 133500 | 827700 |
| 48 | 43/1 पै | - | 0.02.60 | - | - | - | 0.01.70 | - | 0.04.30 | 0.01 | 0.04.30 | 89000 | 133500 | 574050 |
| 49 | 43/2 पै | - | 0.01.40 | - | - | - | 0.01.00 | - | 0.02.40 | - | 0.02.40 | 89000 | 133500 | 320400 |
| 50 | 43/4 पै | - | 0.00.50 | - | - | - | - | - | 0.00.50 | 0.01 | 0.00.50 | 89000 | 133500 | 66750 |
| 51 | 43/6 पै | - | 0.03.80 | - | - | - | 0.01.00 | - | 0.04.80 | 0.01 | 0.04.80 | 89000 | 133500 | 640800 |
| 52 | 43/8 पै | - | 0.01.60 | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.02.20 | - | 0.02.20 | 89000 | 133500 | 293700 |
| 53 | 43/9 पै | - | 0.03.00 | - | - | - | 0.01.00 | - | 0.04.00 | - | 0.04.00 | 89000 | 133500 | 534000 |
| 54 | 43/10 पै | - | 0.01.20 | - | - | - | 0.00.70 | - | 0.01.90 | - | 0.01.90 | 89000 | 133500 | 253650 |
| 55 | 43/11 पै | - | 0.01.00 | - | - | - | - | - | 0.01.00 | - | 0.01.00 | 89000 | 133500 | 133500 |
| 56 | 43/12 पै | - | 0.00.70 | - | - | - | - | - | 0.00.70 | - | 0.00.70 | 89000 | 133500 | 93450 |
| 57 | 43/13 पै | - | 0.01.00 | - | - | - | 0.00.50 | - | 0.01.50 | - | 0.01.50 | 89000 | 133500 | 200250 |
| 58 | 43/14 पै | - | 0.01.10 | - | - | - | 0.00.60 | - | 0.01.70 | - | 0.01.70 | 89000 | 133500 | 226950 |
| 59 | 47/11 पै | - | 0.06.60 | - | - | - | 0.01.40 | - | 0.08.00 | 0.02 | 0.03.50 | 89000 | 133500 | 467250 |
| *60 | *47/26 पै | - | - | - | - | - | - | 0.04.40 | 0.04.40 | - | 0.02.50 | - | - | - |
| एकूण | | | | | | | | | 2.32.10 | | 2.32.10 | | | 30357900 |
| कलम 3D अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द झालेले एकूण क्षेत्र | | | | | | | | | | | 2.32.10 | | | |
| (-) मुल्यांकनातुन वगळण्यात आलेले (सरकारी क्षेत्र) | | | | | | | | | | | * 0.04.70 | | | |
| कलम 3 D अधिसूचनेद्वारे निवाड्यात घेण्यात आलेले खाजगी जमिनीचे एकूण क्षेत्र | | | | | | | | | | | 2.27.40 | | | |
| टिप- स.नं.24/17 पै क्षेत्र-0.00.40, 38/22 क्षेत्र 0.01.80, व स.नं.47/26 पै क्षेत्र 0.02.50 या सर्वेनंबर जमिनी सरकारी असल्यामुळे कलम 3 D अधिसूचनेमध्ये प्रसिध्द झालेले असले तरी सदर क्षेत्राचा मोबदला मुल्यांकनात समाविष्ट करणेत आलेला नाही. | | | | | | | | | | | | | | |

14) फळझाडे मुल्यांकन -

प्रस्तुत प्रकरणी झालेल्या संयुक्त मोजणी नुसार त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या फळझाडांचे जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार मुल्यांकन करून मिळणेकरीता या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/मुल्यांकन/05/2016, दि.05/05/2016 अन्वये तालुका कृषी अधिकारी यांचकडे प्रस्ताव पाठविणेत आला होता. मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ या गावच्या संपादित होणाऱ्या जमिनीतील फळझाडांचे मुल्यांकन उपविभागीय कृषी अधिकारी, सावंतवाडी यांचेकडील पत्र जा.क्र./उविकृअसा/तंत्र/विस्तार/फ.मु/1533/2016, दि.19/08/2016 अन्वये प्राप्त झालेले आहे. संयुक्त मोजणी पत्रकातील फळझाडांच्या नोंदी व मुल्यांकन पत्रकातील फळझाडांच्या नोंदीची पडताळणी केली असता, तफावती आढळून आल्या आहेत. त्यानुसार या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/मुल्यांकन अहवाल/09/2016, दि.23/09/2016 अन्वये त्रुटींची पुर्ततेसाठी कळविणेत आले होते. त्यानुसार त्रुटी पुर्तता करून मुल्यांकन अहवाल त्यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र./उविकृअसा/तंत्र/विस्तार/फ.मु./2001/2016, दि.25/10/2016 अन्वये या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त झालेल्या मुल्यांकनानुसार एकुण रक्कम रुपये 6,05,063.72 एवढे मुल्यांकन आहे. प्राप्त मुल्यांकनानुसार संयुक्त मोजणी पत्रकातील फळझाडांच्या नोंदी व सदरचा मुल्यांकन अहवालातील नोंदी आणि त्यातील तज्ञ अर्थोरीटी म्हणून उपविभागीय कृषी अधिकारी, सावंतवाडी यांनी सदरचे मुल्यांकन केलेले असल्याने ते निवाडयामध्ये स्विकृत करण्यात येत आहे.

| अ.क्र | स.नं./हि.नं/ गट नंबर | संपादन येणाऱ्या फळझाडांची संख्या | | | | फळझाडांचे मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे रक्कम |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------|--|--------|--|
| | | संयुक्त मोजणी पत्रकाप्रमाणे | | फळ विभागाच्या मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे | | |
| | | झाडांचा प्रकार | संख्या | झाडांचा प्रकार | संख्या | |
| 1 | 37/1 पै | नारळ | 1 | नारळ | 1 | 4288.44 |
| | | केळी | 12 | केळी | 12 | 2193.36 |
| | | | | | | 6481.80 |
| 2 | 37/3 पै | नारळ | 2 | नारळ | 2 | 11372.95 |
| | | | | | | 11372.95 |
| 3 | 38/1 पै | चारोळी | 35 | चारोळी | 35 | 65570.82 |
| | | काजु | 32 | काजु | 32 | 23668.68 |
| | | जांभुळ | 6 | जांभुळ | 6 | 184073.36 |
| | | | | | | 273312.86 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
| 4 | 38/23 पै | काजु नारळ | 6 1 | काजु नारळ | 6 1 | 6195.11 1225.00 |
| | | | | | | 7420.11 |
| 5 | 43/1 पै | चारोळी काजु | 1 5 | चारोळी काजु | 1 5 | 3632.72 8805.00 |
| | | | | | | 12437.72 |
| 6 | 43/6 पै | आंबा फणस चिकु जांभुळ पेरु नारळ | 3 1 2 1 2 5 | आंबा फणस चिकु जांभुळ पेरु नारळ | 3 1 2 1 2 5 | 82926.31 3198.78 3807.00 1276.00 8778.48 37537.44 |
| | | | | | | 137524.01 |
| 7 | 43/11 पै | नारळ रामफळ आंबा फणस सुपारी पेरु | 5 2 1 1 1 1 | नारळ रामफळ आंबा फणस सुपारी पेरु | 5 2 1 1 1 1 | 15340.19 19416.64 27775.41 3005.52 1144.63 1164.59 |
| | | | | | | 67846.98 |
| 8 | 43/12 पै | नारळ पेरु | 3 1 | नारळ पेरु | 3 1 | 9801.88 1910.68 |
| | | | | | | 11712.56 |
| 9 | 43/14 पै | रामफळ आंबा पेरु नारळ | 1 2 2 3 | रामफळ आंबा पेरु नारळ | 1 2 2 3 | 9717.15 55302.85 2322.20 9612.53 |
| | | | | | | 76954.73 |
| एकुण रक्कम | | | | | | 605063.72 |

15) वनझाडे मुल्यांकन -

प्रस्तुत प्रकरणी झालेल्या संयुक्त मोजणी नुसार त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या वनझाडांचे जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार मुल्यांकन करून मिळणेकरीता या कार्यालयाकडील

पत्र क्र.उविअ/भूसं/राममा-66/मुल्यांकन/05/2016; दि.05/05/2016 अन्वये उप वनसंरक्षक, वनविभाग सावंतवाडी व वनक्षेत्रपाल कुडाळ यांजकडे प्रस्ताव पाठविणेत आला होता. त्यानुसार वनझाडांचा मुल्यांकन अहवाल वनक्षेत्रपाल कुडाळ यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक/अ/मुल्यां/214/2016-17, दि.20/06/2016 अन्वये व उप वनसंरक्षक, वनविभाग सावंतवाडी यांजकडील पत्र जा.क्र.ब/विक्री/ मुल्यांकन/16-17/1243; दि.29/08/2016 प्राप्त झालेली आहेत. संयुक्त मोजणी पत्रकातील वनझाडांच्या नोंदी व मुल्यांकन पत्रकातील वनझाडांच्या नोंदीची पडताळणी केली असता, तफावती आढळून आल्या आहेत. त्यानुसार या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/वनझाडे त्रुटी/08/2016; दि.12/08/2016 अन्वये त्रुटीच्या पुर्ततेसाठी कळविणेत आले होते. त्यानुसार त्रुटीची पुर्तता करून मुल्यांकन अहवाल त्यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक/अ/चौप/मुल्यां/532/2016-17, दि.01/10/2016 अन्वये या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले आहे. प्राप्त झालेल्या मुल्यांकनानुसार एकुण रक्कम रूपये 19,473.00 एवढे मुल्यांकन आहे. प्राप्त मुल्यांकन अहवालानुसार संयुक्त मोजणी पत्रकातील वनझाडांच्या नोंदी व सदरचा मुल्यांकन अहवालातील नोंदी जुळत असल्याने आणि त्यातील तज्ञ अर्थोरीटी म्हणून उप वनसंरक्षक, वन विभाग, सावंतवाडी यांनी सदरचे मुल्यांकन केलेले असल्यामुळे ते निवाडयामध्ये स्विकृत करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | स.नं./हि.नं/ गट नंबर | संपादन येणाऱ्या वनझाडांची संख्या | | | | वनझाडांची मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे रक्कम |
|--------|-------------------------|----------------------------------|--------|--|--------|--|
| | | संयुक्त मोजणी पत्रकाप्रमाणे | | वन विभागाच्या मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे | | |
| | | झाडांचा प्रकार | संख्या | झाडांचा प्रकार | संख्या | |
| 1 | 37/1 पै | नाना | 2 | नाना | 2 | } 1293.00 |
| | | शिवण | 1 | शिवण | 1 | |
| | | त्रिफळा | 1 | त्रिफळा | 1 | |
| | | पांढरा ऐन | 1 | पांढरा ऐन | 1 | |
| 2 | 37/3 पै | हेळा | 1 | हेळा | 1 | 464.00 |
| 3 | 38/1 पै | चार | 35 | चार | 35 | } 8862.00 |
| | | किंजळ | 1 | किंजळ | 1 | |
| | | आकेशिया | 40 | आकेशिया | 40 | |
| | | कुंभा | 15 | कुंभा | 15 | |
| | | जांभा | 3 | जांभा | 3 | |
| | | फणसी | 4 | फणसी | 4 | |
| | | सायकांडा | 1 | सायकांडा | 1 | |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---|---------|
| | | सालय ओवळ काटेहसन शिवण ओट सावर हेळा ऐन मोय | 2 2 4 1 1 1 1 8 1 | सालय ओवळ काटेहसन शिवण ओट सावर हेळा ऐन मोय | 2 2 4 1 1 1 1 8 1 | |
| 4 | 38/13 पै | चार सायकांडा कुंभा आकेशिया | 3 1 3 5 | चार सायकांडा कुंभा आकेशिया | 3 1 3 5 | 53.00 |
| 5 | 38/25 | गुलमोहर | 1 | गुलमोहर | 1 | 7.00 |
| 6 | 38/26 पै | रेन्ट्री नाना बांबुबेट | 4 1 1 | रेन्ट्री नाना बांबुबेट | 4 1 1 | 1810.00 |
| 7 | 42/0 पै | चार कुंभा सावर किंजळ कटक ऐन | 1 1 1 1 1 4 | चार कुंभा सावर किंजळ कटक ऐन | 1 1 1 1 1 4 | 87.00 |
| 8 | 43/1 पै | चार कुंभा ऐन खैर आकेशिया सायकांडा | 1 1 2 1 4 1 | चार कुंभा ऐन खैर आकेशिया सायकांडा | 1 1 2 1 4 1 | 87.00 |
| 9 | 43/2 पै | आकेशिया खैर किंजळ | 1 1 1 | आकेशिया खैर किंजळ | 1 1 1 | 94.00 |
| 10 | 43/6 पै | आकेशिया निलगिरी | 1 1 | आकेशिया निलगिरी | 1 1 | 1575.00 |
| 11 | 43/12 पै | साग | 1 | साग | 1 | 2585.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|---|----------|---|-----------------|
| 12 | 43/14 पै | काटेहसन | 1 | काटेहसन | 1 | } 2556.00 |
| | | फणसी | 1 | फणसी | 1 | |
| | | बांबुबेट | 2 | बांबुबेट | 2 | |
| एकुण रक्कम रुपये | | | | | | 19473.00 |

16) बांधकामे मुल्यांकन -

संपादित जमिनीवरील बांधकामाचे मुल्यांकन त्यातील तज्ञ अॅथॉरिटी म्हणून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांजकडून या कार्यालयाकडील पत्र क्र. उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/मुल्यांकने/05/2016, दि.05/05/2016 अन्वये मुल्यांकन अहवाल मागविणेत आले होते. संपादित जमिनीतील बांधकाम मुल्यांकन अहवाल त्यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.सावाडी/प्रशा/आस्था-1/2016/3474, दि.24/06/2016 ने प्राप्त झाली आहेत. संपादित जमिनीमध्ये बांधकामे, घरे, गोठे, शौचालये, विहीरी समाविष्ट आहेत. संयुक्त मोजणी पत्रकातील बांधकामाच्या नोंदी व मुल्यांकन पत्रकातील बांधकामाच्या नोंदीची पडताळणी केली असता, तफावती आढळून आल्या आहेत. त्यानुसार या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/रा.म.मा.क्र.66/बांधकाम त्रुटी/09/2016, दि.22/09/2016 अन्वये त्रुटीच्या पूर्ततेसाठी कळविणेत आले होते. त्यानुसार त्रुटीची पुर्तता करून मुल्यांकन अहवाल त्यांचे कार्यालयाकडील पत्र दि.27/10/2016 व पत्र जा.क्र.सावाडी/प्रशा/आस्था-1/2016/7815, दि.05/11/2016 अन्वये या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेली आहेत. प्राप्त झालेल्या मुल्यांकनानुसार **एकुण रक्कम रुपये 96,60,448.10** एवढे मुल्यांकन आहे. संयुक्त मोजणी पत्रकातील बांधकामाच्या नोंदी व सदरचा मुल्यांकन अहवालातील नोंदी आणि त्यातील तज्ञ अॅथॉरिटी म्हणून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांनी सदरचे मुल्यांकन केलेले असल्यामुळे ते निवाडयामध्ये स्विकृत करण्यात येत आहे.

घरे व इतर बांधकामांचे किंमतीचे प्र पत्रक

| अ.क्र. | स.नं./ हि.नं. | जमिन मालकाचे नांव | घर पत्रकाप्रमाणे घर मालकाचे नांव | संपादन क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकामांची संख्या | | | | मुल्यांकन रक्कम |
|--------|------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | | | संयुक्त मोजणी पत्रका प्रमाणे | | मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे | | |
| | | | | बांधकामाचा प्रकार | बांधकामाची संख्या | बांधकामाचा प्रकार | ग्रा.प. घर नं. | |
| 1 | 43/6 पै | हरिश्चंद्र महादेव तिवरेकर वै.8 | सिताबाई रामकृष्ण तिवरेकर रामकृष्ण सखाराम तिवरेकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 667 | 920774.40 |
| | | | सुरेखा सुरेश तिवरेकर गंगाराम शिवराम तिवरेकर अशोक शिवराम तिवरेकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 55अ 55ब 55क | 871658.00 |
| एकुण | | | | | | | | 1792432.40 |
| 2 | 43/8 पै | इंदिरा दत्ताराम शिरवलकर वै.22 | दत्ताराम महादेव तिवरेकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 56 | 1096581.60 |
| एकुण | | | | | | | | 1096581.60 |
| 3 | 43/9 पै | विनायक अर्जुन शिरवलकर वै.22 | पुंडलिक शिवराम शिरवलकर रघुनाथ सिताराम शिरवलकर राजेश सिताराम शिरवलकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 58अ 58ब1 58ब2 | 1123458.60 |
| | | | विनायक शिरवलकर मंगेश शिरवलकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 57अ 57ब | 23293.40 932895.40 |
| एकुण | | | | | | | | 2079647.40 |
| 4 | 43/10 पै | मालिनी आत्माराम खानोलकर वै.21 | आनंदी आत्माराम शिरवलकर प्रसाद रमाकांत शिरवलकर मोहन राजाराम शिरवलकर श्रीधर महादेव शिरवलकर | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 59अ 59ब 59क 59ड | 1889927.40 |
| एकुण | | | | | | | | 1889927.40 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|---|-------|---|--|------------------|------------|
| 5 | 43/13 पै | भिवा काशिराम कुबल वै.7 | दिगंबर काशिराम कुबल | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर एसी शीतचे छत असलेल्या इमारती | 1235 | 482670.00 |
| | | | भिवा काशिराम कुबल सिताराम काशिराम कुबल | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 62अ 62ब | 1549380.00 |
| | | | | | | | एकुण | 2032050.00 |
| 6 | 43/14 पै | आनंद गुरुनाथ डिचोलकर वै.10 | सिमा सिताराम कुबल | इमारत | 1 | भिंतीच्या बांधकामावर मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे असलेले इमारती | 851 | 731054.40 |
| | | | सिमा सिताराम कुबल | | | मंगलौरी कौले/लोखंडी पत्रे शेड | -- | 38754.90 |
| | | | | | | | एकुण | 769809.30 |
| | | | | | | | एकुण रक्कम रुपये | 9660448.10 |

17) विहिरींचे मुल्यांकन :-

प्रस्तुत प्रकरणी संयुक्त मोजणीनुसार संपादित क्षेत्रात विहिरी समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे मुल्यांकन करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही.

| अ. क्र. | स.नं./ हि.नं./ ग.नं. | जमिन व विहिरी मालकाचे नांव | संपादन क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकामाची संख्या | | मुल्यांकन रक्कम |
|---------|----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------|
| | | | संयुक्त मोजणी प्रमाणे विहिरींची संख्या | मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे विहिरींची संख्या | |
| निरंक | | | | | |

18) विंधन विहिरींचे मुल्यांकन :-

प्रस्तुत प्रकरणी संयुक्त मोजणीनुसार संपादित क्षेत्रात विंधन विहिरी समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे मुल्यांकन करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही.

| अ. क्र. | स.नं./ हि.नं./ ग.नं. | जमिन व विंधन विहिर मालकाचे नांव | संपादन क्षेत्रात येणाऱ्या बांधकामाची संख्या | | मुल्यांकन रक्कम |
|---------|----------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|
| | | | संयुक्त मोजणी प्रमाणे विंधन विहिरींची संख्या | मुल्यांकन अहवालाप्रमाणे विंधन विहिरींची संख्या | |
| निरंक | | | | | |

19) धार्मिक मालमत्ता :-

संपादित जमिनीमध्ये मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ येथील धार्मिक मालमत्ता/जमिन संपादित होत नाही.

| अ.क्र. | मौजे | अवार्ड प्रपत्र ई अ.क. | मालमत्तेचा प्रकार | स.नं. | संपादित क्षेत्र | स्टेटमेंट ई प्रमाणे रक्कम |
|--------|------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निरंक | | | | | | |

20) शासकीय जमीन :-

सदर प्रकरणातील मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ येथील संपादित होणाऱ्या जमिनी सरकारी मालकी दर्शविलेली बाब संयुक्त मोजणी पत्रक अहवालानुसार खालीलप्रमाणे संपादित होत आहेत.

| अ.क्र. | स.नं. | तपशील | क्षेत्र | शेरा |
|--------|----------|--------------------|---------|-------------|
| 1 | 24/17 पै | मसणवटा (कब्रस्तान) | 0.00.40 | शासकीय जमिन |
| 2 | 38/22 पै | मसणवटा | 0.01.80 | शासकीय जमिन |
| 3 | 47/26 पै | मराठी शाळा | 0.02.50 | शासकीय जमिन |

21) पोटखराबा जमिनीचे मुल्यांकन :-

अंतिम निवाडयात प्रपत्र ई प्रमाणे संपादनाखालील जमिनीमध्ये येणाऱ्या पोटखराबा क्षेत्रासाठी मा.विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडील पत्र क्र.जा.क्र.नर/निवाडा शाखा/पो.ख/धारणा कायम/2016/142, दि.19/10/2016 अन्वये कळविणेत आलेप्रमाणे पोटखराबा जमिनीचे बाजारमुल्य परिगणित करताना बाजारमुल्य दर तक्यातील मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे लागू करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे जमिनीच्या प्रकारानुसार पोटखराबासह सर्व क्षेत्र मुल्यांकनासाठी विचारात घेण्यात आलेले आहे. पोटखराबा जमिनी अभिलेख व स्थळ पहाणीनुसार निश्चित करणेत आलेल्या आहेत.

22) कुळ :-

प्रस्तावित क्षेत्राचे 7/12 उतारे पहाता जमिनीत कुळे व मालक आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे जमिन मालकास 40% व कुळास 60% याप्रमाणे संविभाजन पत्रात रक्कम देव्य करणेत येईल.

23) संपादित जमिनीचा ताबा :-

संपादित जमिनीचा ताबा संपादन संस्थेने घेतलेला नाही. त्या जमिनीचा ताबा अंतिम निवाडयानंतर संपादित संस्थेस ताबा देण्याची कार्यवाही कलम 3H (1) प्रमाणे करणेत येईल.

24) 100% दिलासा रक्कम :-

भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकारी व स्थानांतरण पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम 2013 मधील कलम 30(1) नुसार देय संपादन मोबदला रकमेवर 100% दिलासा रक्कम हिशोबित करून देय करणेत आलेली आहे.

25) संपादन क्षेत्रासाठी बाजार मुल्यांचा गुणक घटक (Multiplier Factors) :-

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार/अ दि. 26 मे, 2015 अन्वये उक्त अनुसूचीच्या नोंद (2) व (3) मध्ये अनुक्रमे ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबतीत ज्या घटकाद्वारे बाजार मुल्य गुणले जाणार आहेत ते घटक, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित करणेत आलेले आहे. नगर रचनाकार सिंधुदुर्ग यांजकडे गुणांकाबाबत या कार्यालयाकडील पत्र क्र.उविअ/भूसं/एनएच-66/गुणांक/2018, दि.19/04/2018 अन्वये अभिप्राय मागविण्यात आलेले होते. त्यांचेकडील पत्र जा.क्र.भूसंपादन/कुडाळ/रा.म.मा.क्र.66/गुणांक/नरसिं-989, दि.17/05/2018

अन्वये मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली हा गांव मंजूर प्रादेशिक योजनेअंतर्गतच्या सिंधुदुर्ग पर्यटन विकास आराखडयामध्ये राष्ट्रीय महामार्गालगतचे क्षेत्र पर्यटन विभाग T-3 या जमिन वापर विभागात समाविष्ट आहे. सदर जमिन वापर विभागात नियमावलीतील रहिवास/वाणिज्य वापर अनुज्ञेय होतो. सदर गावच्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या संपादित जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी गुणांक 1.50 इतका राहिल असे कळविण्यात आल्याने सदरच्या निवाडयात गुणांक 1.50 वाढ देवून येणारा दर निवाडयामध्ये लागू केलेला आहे.

26) अतिरिक्त घटक मोबदला :-

भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण, पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम 2013 मधील कलम 30 (3) नुसार प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणी कलम 3(A) अधिसूचना भारत सरकार, नवी दिल्ली, राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 - उपखंड (ii) अन्वये, दि.16/12/2016 मध्ये प्रसिद्ध झालेली असून, अंतिम प्रसिद्धी 14/03/2017 रोजी झालेली आहे. त्यामुळे उपरोक्त नवीन भूसंपादन अधिनियम 2013 मधील कलम 30(3) व भारत सरकार Ministry of Road Transport and Highway यांजकडील पत्र क्र.No.NH-11011/30/2015-LA, दि.28/12/2017 नुसार प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून निवाडयाच्या तारखे पर्यंत म्हणजेच दि.14/03/2017 ते दि.15/10/2018 पर्यंत 580 दिवस जमिनीच्या मुळ किंमतींवर येणा-या बाजार मुल्यावर 12% अतिरिक्त घटकांची रक्कम हिशोबित करणेत आलेली आहे.

27) मालकी हक्क :-

संपादित होणाऱ्या जमिनीची मालकी निश्चित करण्यासाठी संबंधीत जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील (7/12) नोंदी ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. मालकी हक्क व नुकसान भरपाई बाबत काही हरकती निर्माण झाल्यास त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3 H (4) प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. उक्त अधिनियमाचे कलम 3D व संयुक्त मोजणीचे वेळी मालकी हक्काबाबतचे दस्त ऐवज विचारात घेण्यात आले आहेत. तथापि, काही मालमत्ते संदर्भात मालकी हक्क शाबितीचा वाद उद्भवल्यास मालकी हक्काबाबत संक्षम न्यायालय जो आदेश देईल, त्या आदेशानुसार संबंधितांना नुकसान भरपाई वाटप करण्यात येईल. संपादित जमिन ही खुद्द मालकीची आहे ज्यांना नुकसान भरपाई वाटप केलेले आहे त्यांच्याकडून संपादित जमिनीचा ताबा घेण्यात येवून त्यांच्या मालकी हक्कामधुन 7/12 उतान्यावरून संपादित क्षेत्र कमी करून सदरचे संपादित क्षेत्र केंद्र शासनाकडे (भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण) वर्ग करण्यात यावे. त्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील व तशी नोंद 7/12 उताऱ्यावर हितसंबंधीतांचे मालकी हक्कात घेण्यात यावी.

सदरील जमिनीवर बँकाचे कर्ज, तारण जप्ती इत्यादी आदेश नोंद केलेले आहेत व अशा संस्थांनी वसुली संदर्भात आपले दावे दाखल केलेले आहेत; अशा जमिनीची नुकसान भरपाई वसुली पात्र रक्कम प्रथम प्राधान्याने वसूल केली जाईल याची उपाययोजना करण्यात येईल.

ज्या जमिनीचे 7/12 उताऱ्यावर बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार शर्तभंग इत्यादी नोंदी आहेत, अशा जमिनीची नुकसान भरपाई संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा अशा नोंद कमी झाल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात यावी. नवीन शर्तीच्या जमिनीची नुकसान भरपाई शासनाचे प्रचलित नियमाप्रमाणे नजराणा रक्कम वसूल करून उर्वरित रकमेचे वाटप करावे व कपात केलेली रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. तसेच इनाम जमिनीबाबत मावेजा वाटप करता येणार नाही. नियमाप्रमाणे आवश्यकती कार्यवाही करावी.

संयुक्त मोजणीप्रमाणे संपादित क्षेत्र खाजगी व्यक्तीने धारण केले आहे. या बाबत उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख व अधिकार अभिलेख यांच्याकडून खात्री करण्यात आली आहे. तथापी संपादन पैकी काही क्षेत्र यापूर्वी महामार्ग अथवा इतर शासकीय कारणासाठी संपादित झालेली आहे, याबाबत कोणताही पुरावा उपलब्ध झाला तरी देखील आज रोजी अशा जमिनी संदर्भात मोबदला वाटप करण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा जमिनीचे बाबतीत मोबदला वाटप संबंधित जमीन धारकाने संपादनाबाबतची माहिती न देता स्विकारल्यास ते संबंधिताकडून वसूल करण्यास पात्र राहिल.

28) आस्थापना सेवा शुल्क 1.5% प्रमाणे आकारणी :-

सदर प्रकरण राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार यांचे असलेमुळे संचिकेत 1.5% आस्थापना रक्कमेची आकारणी निवाडयात करणेत आलेली आहे. (महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-1/2018, प्र.क्र.11/अ-2, दि.04/04/2018 मधील तरतुदीनुसार)

29) सोयी सुविधा खर्च 1% प्रमाणे आकारणी :-

सदर प्रकरण राष्ट्रीय महामार्ग, भारत सरकार यांचे असलेमुळे संचिकेत 1% सुविधा खर्च शुल्क रक्कमेची आकारणी निवाडयात करणेत आलेली आहे. (महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-1/2018, प्र.क्र.11/अ-2, दि.04/04/2018 मधील तरतुदीनुसार)

30) नुकसान भरपाई :-

या निवाड्याच्या निवाडा पत्रकामध्ये (प्रपत्र - ई मध्ये) नमुद केल्याप्रमाणे संपादित क्षेत्राची गट/स.नं. निहाय नुकसान भरपाई खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

| | | |
|----|--|-----------------------|
| अ | संपादित निवाडा जमिनीचे एकूण क्षेत्र (हे.आर.) | 2.27.40 |
| ब | जमिनीची मुळ किंमत कलम 26(1) प्रमाणे जिरायत, बागायत, हंगामी बागायत, हायवेवरील, अकृषिक, संभाव्य अकृषिक इ. प्रमाणे रक्कम | 2,02,38,600.00 |
| क | जमिनीची मुळ किंमत कलम 26(2) गुणक 1.50 प्रमाणे जिरायत, बागायत, हंगामी बागायत, हायवेवरील, अकृषिक, संभाव्य अकृषिक इ. प्रमाणे रक्कम | 1,01,19,300.00 |
| | एकूण - (ब + क) | 3,03,57,900.00 |
| 1 | बांधकामाचे मुल्य:- घर/गोठा/दुकाने/मंदिर/पाण्याचे हौद/टाकी इत्यादी | 96,60,448.10 |
| 2 | विहीरीचे मुल्यांकन | -- |
| 3 | विंधन विहीरीचे मुल्यांकन | -- |
| 4 | वनझाडांचे मुल्यांकन | 19,473.00 |
| 5 | फळझाडांचे मुल्यांकन | 6,05,063.72 |
| | एकूण - (1 ते 5) | 1,02,84,984.82 |
| 6 | कलम 27 प्रमाणे एकूण रक्कम | 4,06,42,884.82 |
| 7 | 100% सोलेशियम (दिलासा रक्कम) | 4,06,42,884.82 |
| 8 | 12% रक्कम कलम 30(3) प्रमाणे (कलम 3A पासून निवाडा दिनांकापर्यंत दि.14/03/2017 पासून दि.15/10/2018 पर्यंत म्हणजे 580 दिवस) | 38,59,196.05 |
| | एकूण - (6 ते 8) | 8,51,44,965.69 |
| | पूर्णाकात रक्कम रुपये | 8,51,44,966.00 |
| | महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-01/2018, प्र.क्र.11/अ-2, दि.04/04/2018 मधील तरतूदी नुसार | |
| 9 | 1.5% आस्थापना खर्च रक्कम राज्यशासनास जमा करणेसाठी | 12,77,174.00 |
| 10 | 1% सोयी सुविधा खर्चाची रक्कम भूसंपादन अधिकारी यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी | 8,51,450.00 |
| | एकूण बेरीज | 8,72,73,590.00 |

सोबत निवाडा प्रपत्रक (अक्षरी रक्कम रुपये:- आठ कोटी बाहत्तर लाख त्र्याहत्तर हजार पाचशे नव्वद मात्र)

31) मोबदला वाटप प्रक्रिया :-

याप्रमाणे निर्धारित करणेत आलेली निवाडा रक्कम राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कलम 3 H (1) मधील तरतूदीप्रमाणे केंद्रशासनाद्वारे सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे जमा करावी. याप्रमाणे निवाडा रक्कम सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे जमा केल्यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 H (2) अन्वये सक्षम प्राधिकारी केंद्रशासनाच्या वतीने या निवाड्याद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पात्र हितसंबंधित व्यक्तित्ना त्याच्या क्षेत्रा व हिश्यानुसार रक्कमेचे वाटप करतील व त्यांचेकडून संपादित क्षेत्राचा ताबा घेतील. भूसंपादन मोबदला रक्कम वाटप करताना संपादित होणाऱ्या क्षेत्राच्या मालकीबद्दल अथवा मोबदला रक्कमेतील हिश्याबद्दल वाद निर्माण झाल्यास प्रमुख जिल्हा न्यायालय (The principal civil court of original jurisdiction within the limits of whose jurisdiction the land is situated) यांचेकडे उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 H (4) नुसार त्यांचे निर्णयासाठी मोबदला रक्कम भरता येईल.

32) जमिनीचा ताबा :-

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाच्या कलम 3 E (1) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी संपादित जमिनीच्या हितसंबंधितास हा निवाडा घोषित केल्यावर मोबदला रक्कम स्विकारणेसाठी व त्याचवेळी संपादित मिळकतीचा ताबा केंद्रशासनास हस्तांतरीत करणेकरिता लेखी नोटीसीद्वारे कळवतील. अशा नोटीसीची बजावणी झालेवर एकूण 60 दिवसांच्या कालावधीत जर हितसंबंधित व्यक्तित्नी ताबा हस्तांतर केला नाही तर उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 E (2) प्रमाणे जिल्हाधिकारी यांना ताबा प्राप्त करणेकरिता सक्षम प्राधिकारी विनंती करतील व जिल्हाधिकार्यांमार्फत सक्षम प्राधिकारी यांना अथवा त्यांचेद्वारे प्राधिकृत व्यक्तीस ताबा हस्तांतरीत केला जाईल.

33) जमिनीचा वापर :-

संपादन करण्यात आलेली जमिन ही राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरण या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्यात आलेली आहे. या संपादनाखालील ज्या जमिनींना वनसंबंधित कायद्याच्या तरतूदी लागू आहेत अथवा इतर कायद्यांच्या किंवा न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे वापरातील बदलास निर्बंध लागू आहेत. या बाबतीत भूसंपादनानंतर अनुज्ञेय वापर सुरू करण्यापूर्वी वनविभाग अथवा त्या-त्या परिस्थितीतील निर्बंध असणाऱ्या विभागातील सक्षम स्तरावरून वापरातील निर्बंधाबाबत परवानगी घेवूनच संपादित करण्यात आलेल्या अशा मिळकती ह्या ज्या प्रयोजनासाठी संपादित केल्या आहेत त्या प्रयोजनासाठी वापर करण्यास

पात्र ठरतील. अशा प्रकरणांमध्ये सक्षम स्तरावरून अनुज्ञेय वापरात बदल करून घेण्याची जबाबदारी संपुर्णतः संपादन संस्था म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांची राहिल म्हणजेच या भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे संपादित जमिनीची केवळ मालकी (Title) संपादन संस्थेकडे कायदेशिरपणे हस्तांतरीत केली जात आहे. व त्याच्या वापरादरम्यान वनसंवर्धन कायद्याच्या तरतूदींचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी संपादन संस्थेची राहिल.

34) विश्लेषण :-

ज्याअर्थी वरील परिच्छेद क्रमांक 30 मध्ये मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता.कुडाळ येथील संपादनाचे क्षेत्र व त्याअनुषंगाने कायद्यातील तरतूदी विचारात घेता परिगणित करण्यात आलेली जमिन व तिच्याशी निगडित जंगलीझाडे व फळझाडे यांच्या मोबदल्याचा एकत्रित सारांश दर्शविण्यात आलेला आहे. तसेच या निवाडयासोबत जोडलेल्या निवाडा पत्रकामध्ये संपादित होणाऱ्या सर्व नंबर / गट नंबर निहाय विस्तृतपणे अनुज्ञेय मोबदल्याचा तपशिल विषद करण्यात आलेला आहे.

त्याअर्थी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 च्या कलम 3 G (1) प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाने संदर्भिय क्रमांक 1 नुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त कायद्याच्या कलम 3 D नुसार मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ येथील संपादित करण्यात आलेल्या मिळकतीचा निवाडा या आदेशाद्वारे घोषित झाला आहे असे जाहिर करण्यात येत आहे. ज्याअर्थी हा निवाडा घोषित करण्यात आला आहे त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 (E) व 3 (H) प्रमाणे सर्व हितसंबंधीतांस नोटीसा देण्यात याव्यात. ज्याअर्थी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 च्या कलम 3G प्रमाणे हा निवाडा जाहिर झाला असून अंतिमतः संपादित जमिनीवरील सर्व हितसंबंधी यांचे/ खातेदारांचे सर्व हक्क संपुष्टात येवून ही मिळकत त्या मिळकतीवर असलेल्या सर्व झाडे, इतर मालमत्तांसह तसेच संपुर्ण बोजा विरहित व भारमुक्त (Free From All Encumbrances) होऊन केंद्र शासनाच्या सडक व परिवहन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे नावे निहित करणेत येत आहे. तसेच ज्या अर्थी या निवाडयाद्वारे संपादित जमिन ही सर्व भार मुक्त होऊन केंद्र शासनाचे वरील मंत्रालयाचे नावे विहित करणेत आली आहे. त्याअर्थी सदर जमिनींच्या आज रोजी पर्यंत अनुज्ञेय असलेल्या सर्व प्रकारचा जमिन महसूल कमी करणेची कार्यवाही करणेचा म्हणजेच सारा माफीचा आदेश देखील याद्वारे देण्यात येत आहे.

आदेश

याद्वारे जाहिर करण्यात येत आहे की,

- 1) मौजे- बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 चे कलम 3D अंतर्गत अधिसूचित एकूण 2.27.40 हे.आर. एवढे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम 3G नुसार निर्धारित करण्यात आलेल्या एकूण रक्कम रुपये 8,72,73,590.00 (आठ कोटी बाहत्तर लाख त्र्याहत्तर हजार पाचशे नव्वद मात्र) एवढ्या मोबदल्याच्या विनिमयात अंतिमतः संपादित करणेत आले आहे.
- 2) सर्व खातेदारांस/ हितसंबंधीयास उक्त अधिनियमाच्या कलम 3E व 3H नुसार लेखी नोटीसा देवून याबाबत कळविणेत यावे.
- 3) एकूण निवाड्यात नमुद आस्थापना एकूण रक्कम रु.12,77,174.00 (बारा लाख सत्याहत्तर हजार एकशे चौ-याहत्तर मात्र) शुल्क सक्षम प्राधिकारी यांनी शासनास जमा करावे.
- 4) निवाड्याच्या रक्कमेच्या एकूण 1% सोई सुविधा शुल्क एकूण रक्कम रु.8,51,450.00 (आठ लाख एकावन्न हजार चारशे पन्नास मात्र) सक्षम प्राधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या खात्यात जमा करावी.
- 5) या निवाड्याद्वारे घोषित क्षेत्राच्या अधिकार अभिलेखात भोगवटादार सदरी संपादन संस्था म्हणजेच सडक व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे नावे संपादित क्षेत्रापुरते दाखल करण्यात यावे.
- 6) उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 E व 3 H नुसार पुढील नोटीसा प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर म्हणजेच भूसंपादन मोबदला देवू केल्यावर (offer) वितरण (Disburesement) आणि कायद्यात व त्या अनुषंगाने या निवाड्यात निर्दिष्ट ताबा प्रक्रिया पूर्ण केलेवर, सक्षम प्राधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत मौजे बांबर्डे तर्फे कळसुली, ता. कुडाळ येथील उक्त अधिनियमाचे कलम 3A व 3D नुसार प्रसिद्ध करणेत आलेल्या अधिसूचना या घोषित निवाड्याची प्रत आणि विधीवत घेण्यात आलेल्या ताबे पावत्यांच्या सह कमी जास्त पत्रक करणेकामी उपअधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी कमी जास्त पत्रक पारीत करून पुढील कार्यवाहीसाठी क्षेत्रीय महसूल विभागाकडे सादर करावे. कमी जास्त पत्रकाचा अधिकार अभिलेखात अमल दिल्यावर गांव नमुना नं.7/12 संपादन संस्थेस शुल्क उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेची राहिल.

निवाडा पत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रत्येक जमिनीची नुकसान भरपाई संबंधीतास मालकी हक्क व इतर आवश्यक बाबी तपासून अदा करावी. नुकसान भरपाई वाटप

व जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी सर्व संबंधीतांना वैयक्तिक नोटीसा कलम 3(E) व 3(H) अन्वये देण्यात याव्यात व जमिनीचा कायदेशीर ताबा राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ यांजकडे अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे देण्यात यावा असा आदेश करण्यात येत आहे. अंतिम निवाडा राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 कलम 3 G (1) अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार दिनांक 15/10/2018 रोजी देण्यात येत आहे.

ठिकाण :- कुडाळ

दिनांक :- 15/10/2018

(विकास सुर्यवंशी)

सक्षम प्राधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी (महसूल), कुडाळ